कल्याण भारती

वनवासी सेवा, संगठन और संस्कृति संरक्षण हेतु समर्पित

अमृत वर्ष महोत्सव पालन, अमिट रहेगी छाप।
छोटा झंडा मैंने थामा, बड़ा थाम लो आप।।
मेल-मिलाप चलो हम कर लें,
देश का गौरव बढ़े अमाप।।

आजादी का अमृत महोत्सव विशेषांक

कल्याण भारती

वनवासी सेवा, संगठन और संस्कृति संरक्षण हेतु समर्पित

त्रैमासिक पत्रिका
वर्ष 33, अंक 2
अप्रैल-जून 2022 (विक्रम संवत् 2079)

–: सम्पादक :–
स्नेहलता बैद

-:सह सम्पादक:-
डॉ. रंजना त्रिपाठी

–: सम्पादन सहयोग :–
तारा माहेश्वरी, रजनीश गुप्ता

पूर्वांचल कल्याण आश्रम

कोलकाता कार्यालय :
161/1, महात्मा गाँधी रोड, बाँगड़ बिल्डिंग
2 तल्ला, कमरा नं. 51, कोलकाता-7
दूरभाष : 2268 0962, 2273 5792

प्रांतीय कार्यालय :
29, वार्ड इन्स्टीच्युशन स्ट्रीट
(मानिकतल्ला पोस्ट ऑफिस के पास)
कोलकाता - 6, दूरभाष : 2360 8334

हावड़ा कार्यालय :
24/25, डबसन लेन, 1 तल्ला
हावड़ा - 1, दूरभाष : 2666 2425

–: प्रकाशक :–
संजय रस्तोगी

Registered with registrar of Newspaper for India Under LIC No. WBHN/2000/3887

Published by Bishwanath Biswas, On behalf of Purvanchal Kalyan Ashram, 161/1, Mahatma Gandhi Road, Bangur Building, 2nd Floor, Room No. 51, Kolkata - 700007 and printed at Shreyansh Prakashans, 30 Madan Mohan Talla Street, Kolkata - 700005. Editor : Snehlata Baid

अनुक्रमणिका

- शुभाशंसा 2
- संपादकीय 3
- डीलिस्टिंग आंदोलन जनजातीय... 4
- संस्कृति और आस्था अविभाज्य है 9
- अनुकरणीय 12
- नागालैंड वनयात्रा... 13
- त्रैवार्षिक महिला कार्य बैठक वृत्त 16
- अखिल भारतीय वनवासी... 18
- कोलकाता तथा हावड़ा महानगर... 19
- पूर्वांचल कल्याण आश्रम का ... 20
- माननीय भास्कर राव वनवासी... 21
- सालबाड़ी कल्याण आश्रम की... 24
- डीलिस्टिंग महाअभियान ... 25
- अनाम क्रान्तिकारी ...कमला देवी... 31
- बोधकथा ..... संत की सीख 32
- कविता .... अमृत महोत्सवी पल 32

Phone : (07763) 223253, 2
Fax : (07763) 220885
Registration : 79, Date : 09-10-1956

AKHIL BHARATIYA VANVASI KALYAN ASHRAM
P.O. & DIST. : JASHPUR NAGAR (CHHATISHGARH) PIN: 496 331

शुभाशंसा

स्नेहलता बैद
संपादिका
कल्याण भारती
पूर्वांचल कल्याण आश्रम
हावडा महानगर, कोलकाता, प.बंगाल।

यह जानकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि पूर्वांचल कल्याण आश्रम कोलकाता-हावड़ा महानगर का 41वाँ वार्षिकोत्सव 19 जून को मनाया जा रहा है। महानगर के कार्यकर्ताओं को संगठित करने व उनमें उत्साह भरने का कार्य इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली कल्याण भारती का विशेषांक होगा। साथ ही देश भर में कार्यरत वनवासी ग्रामों के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक संग्रहणीय ग्रंथ भी बनेगा।

41वें वार्षिकोत्सव के सफल आयोजन एवं इस अवसर पर प्रकाशित कल्याण भारती विशेषांक के सफल प्रकाशन की कामना करता हूं। धन्यवाद।

आपका

कृपा प्रसाद सिंह
ग्राम विकास आयाम मार्गदर्शक,
पूर्व कार्यकारी महामंत्री एवं उपाध्यक्ष,
अ. भा. वनवासी कल्याण आश्रम
लोहरदगा केंद्र

संपादकीय...

नया भारत पूरी तेजस्विता से आकार ले रहा है

यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण का जो सिलसिला शुरु हुआ है, वह दिनों-दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस देश की विडंबना रही है कि 1947 से आजादी मिलने के इतने दशक बाद भी देश अंग्रेजों के बनाए औपनिवेशिक कानूनों से जूझता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने 1780 औपनिवेशिक कानूनों को जो जनता को सिर्फ उलझाने एवं परेशानियों में रखने का काम करते थे समाप्त कर दिया। वे देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। भारत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इतना सम्मानित और निर्णायक स्थान कभी नहीं मिला था। देश आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का साक्षी बना है। जन-धन योजना के माध्यम से करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खुलवा कर उन्हें देश के अर्थतंत्र में शामिल किया गया है। सरकार के शासन का मूलमंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' दर्शाता है कि वह विकास के एक सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी मॉडल को लेकर बढ़ रही है। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम किसान निधि, स्वच्छ भारत, सौभाग्य आवास, डीबीटी इत्यादि योजनाओं के माध्यम से देश के गरीबों का न सिर्फ आर्थिक सशक्तीकरण बल्कि उन्हें समानता से जीने का अवसर देने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपूर्व मजबूती दी है। आतंकवाद के प्रति सरकार का रुख जीरो टॉलरेंस का है। अब आतंकी हमलों पर केवल निंदा कर कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान ली जाती बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के द्वारा आतंकियों को उनके घर में घुस कर मुँहतोड़ जवाब दिया जाता है। अब भारत विश्व की किसी महाशक्ति के सामने झुके बिना देश हित में अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक रखता है। भारतीय संस्कृति के वैश्विक सम्मान का एक उदाहरण भारत के योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलना है। वोकल फार लोकल के नारे के फलस्वरूप देश में स्वरोजगार अपनाने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सदियों से शोषित पीड़ित और उपेक्षित वनवासी भी अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग सचेत हुआ है। डीलिस्टिंग महाभियान के तहत जगह-जगह सम्मेलन और रैलियाँ कर सरकारों को ज्ञापन सौंपा जा रहे हैं ताकि धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली सुविधाएं न मिल पाए। कर्नाटक की तुलसी गौड़ा, बंगाल की कमली सोरेन आदि कार्यकर्ता जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबद्धता के साथ मानव-सेवा और राष्ट्र-सेवा का महनीय कार्य कर रहे हैं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करना हमारे कार्य की महत्ता और कार्यकर्ताओं की निष्ठा का परिचायक है। देशवासियों के भीतर राष्ट्र के शत्रु -मित्र, जय -पराजय, मान-अपमान, गौरव-ग्लानि, हीनता-श्रेष्ठता का सच्चा, सम्यक् एवं संतुलित बोध विकसित हो रहा है। आइए, आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपनी समृद्ध व वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए राष्ट्रहित के कार्यों से कभी समझौता नहीं करेंगे और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में पूरी सक्रियता के साथ सम्मिलित होंगे। आजादी के अमृत वर्ष की सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं! इति शुभम्

- स्नेहलता बैद

डीलिस्टिंग आंदोलन
जनजातीय समाज की अस्मिता का जागरण

- अतुल जोग
अ.भा. संगठन मंत्री

दिनांक 27 मई को छत्तीसगढ के जशपुर में 30 हजार जनजाति लोग रास्ते पर उतर आए और नारे लगा रहे थे – "**जो न भोलेनाथ का वो न हमारे जात का**".... जनसभा में सभी नेता एक ही मांग कर रहे थे कि; "धर्मांतरित अनुसूचित जनजातियों को सूची से बाहर करो एवं उनको आरक्षण की सुविधा से वंचित करो (धर्मांतरित जनजाति लोगों का डीलिस्टिंग)" । इस मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश भर में जिला स्थानों पर रैली एवं सभाओं का आयोजन किया जा रहे है। अप्रैल माह से यह आरंभ हुआ रैलियों का दौर जुलाई महीने तक चलेगा। विभिन्न राज्यों में भयंकर गर्मी का प्रकोप चल रहा है, फिरभी जनजाति समाज के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सभी लोग गीत गा रहे है – "**सच जनजातियों ने यह जान लिया है, डीलिस्टिंग करेंगे यह ठान लिया है**"। मई अंत तक 140 जिलों में रैलियां एवं सभाओं का आयोजन हो चुका है। डीलिस्टिंग की अपने न्यायिक अधिकारों की रक्षा हेतु रैलियों में नगरों से, गांव-गांव से जनजाति महिला पुरुष बड़ी संख्या में सहभागी हो रहे है। अपनी पारंपारिक पोषाक पहने, तीर कमान पहचान के रुप में हाथ में लिए, ढोल, मांदल की ताल पर रास्ते में उतर आए हैं। जनजाति समाज के धर्म-संस्कृति-आस्था परंपराओं की रक्षा करने का संकल्प लिए नारे लगा रहे है – "**मांझीथान (पारंपारिक पूजा स्थान) जो छोडेगा आरक्षण वह खोएगा**"।

सभी जगहों पर हाथ में प्लेकार्ड लिए रैली के उद्देश्य को प्रकट कर रहे थे। प्लेकार्ड पर लिखा था – "**विदेशी धर्म का विश्वासी, वह कैसा होगा आदिवासी**", "**धर्मांतरण किया आरक्षण गया**"...

सभी जगहों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े फिर भी शांतिपूर्ण, अनुशासित जनजाति समाज का दर्शन हो रहा था। सुदूर उत्तर पूर्वांचल के अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा में रैलियों एवं जनसभाओं का आयोजन किया गया। कार्बीआग्लोंग, कोकराझार, एशिया के सबसे बड़े ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीप माजुली, धेमाजी में भी ऐतिहासिक रैलियां हो रही हैं।

बंगाल, ओडिसा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं कर्नाटक, केरल के वनांचल में भी डीलिस्टिंग के नारे गूंज रहे है। युवा, बड़े बुजुर्ग एवं महिलाएँ भी छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर रैलियों में शामिल हो रही हैं।

डीलिस्टिंग विषय "सड़क से संसद तक" एवं "सरपंच से सांसद तक" ले जाने की दृष्टि से मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में जब संसद का सत्र चल रहा था तब सभी सांसदों को दिल्ली में मिलने की योजना बनी। विभिन्न प्रांतों से सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। इस अभियान में कुल 445 सांसदों से व्यक्तिगत रुप से डीलिस्टिंग विषय समझाने हेतु मिलना हुआ। विभिन्न दलों के सांसदों ने इस विषय का स्वागत एवं समर्थन किया। अब तक कई बार यह डीलिस्टिंग की मांग संसद में उठी है।

यह डीलिस्टिंग क्या है ? यह सभी भारतवासियों को जानना आवश्यक है।

अनुसूचित जनजाति यह नाम भारत में एक वर्ग के रूप में संविधान के निर्माण के साथ आया परंतु भारत में यह जातियां छोटे छोटे समूहों के रूप में प्राचीन काल से अस्तित्व में रहीं। भारत की सनातन (एबोरिजिनल) परंपरा के साथ उन्हें हम देखते आए हैं।

संविधान निर्माताओं ने इन सभी जातियों को एक विशेष वर्ग के रूप में एक नयी पहचान दी जिसे हम आज भारत की जनजातियों के रूप में जान रहे हैं। आखिर वे कौन सी जातियां थीं जिन्हें जनजाति माना गया, उनकी क्या विशेषता थी? क्या पहचान थी?

जब भी हम भारत की जनजातियों का विचार करते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति हमारे दृष्टि पटल के समक्ष उपस्थित हो जाती है जिसका संबंध किन्हीं देवी देवताओं की आस्थाओं से रहता है। इन्हीं आस्थाओं तथा पूजा पद्धतियों का विस्तारित रूप वहां फलती-फूलती हुई कलात्मक अभिव्यक्ति होती है जो हमें बाह्य रूप में दृष्टिगत होती है फिर वह चित्रकला हो, नृत्य हो, वादन हो या गायन हो या वेशभूषा हो ऐसे अनेक रूपों में वह अभिव्यक्त होती है। परंतु उसके केंद्र में सदैव उनके अपने आराध्य देवता के प्रति आस्थाएं, उस आधार पर विकसित समाज रचना, व्यवस्थाएं, जीवन मूल्य जिन्हें जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों के रूप में हम देख सकते हैं। फिर वह करमा पूजा हो, सरहुल पूजा हो या ग्राम का सरना स्थल हो। भील समाज में मातानुवन हो, पारंपरिक रूप से गाया जाने वाला गायन हो, सभी का संबंध उनके अपने देवी देवताओं की आस्था से है। अत: हम यह समझ सकते हैं कि जनजातीय समाज में आस्थाएं एवं संस्कृति केवल अभिन्न ही नहीं अपितु आस्थाओं के विस्तार के रूप में संस्कृति प्रकट होती है। इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कहे कि मैं जनजाति संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करता हूं परंतु जनजातीय देवी देवताओं में मेरी आस्था नहीं है तो क्या उसे जनजाति माना जा सकता है? निश्चित ही नहीं।

अंग्रेजों ने जब सर्वप्रथम वनों का अपने हितों में उपयोग हेतु सरकारीकरण प्रारंभ किया वहीं से जनजातीय समाज के सामने आजीविका तथा अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ ही जंगलों से जनजातियों के अधिकार समाप्त कर दिये गए। वहां से उन्हें जबरन विस्थापित किया जाने लगा तथा वनक्षेत्रों का वहां के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण प्रारंभ हुआ। विकास के नाम पर जंगलों के विनाश ने इस समाज के सामने केवल आजीविका के ही नहीं, उनकी आस्थाओं पर भी गंभीर कुठाराघात किया।

संविधान निर्माताओं ने जनजातीय समाज की इस पीड़ा को समझते हुए उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय भारतीय संविधान में किए।

आरक्षण

आरक्षण हेतु संविधान में अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) अलग अलग सूचियां बनाई गईं। अनुसूचित जाति की जिन जातियों को अस्पृश्यता के चलते सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा उन्हें अनुसूचित जाति के वर्ग में शामिल किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण उनकी परंपरागत आस्था तथा संस्कृति परंपरा के संरक्षण हेतु दिया गया। अत: शासन, प्रशासन के विभिन्न पदों पर उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जिससे नीतियां बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में

उनका सहयोग सुनिश्चित हो सके इस हेतु आरक्षण के प्रावधान किए गए।

जनगणना में अंग्रेजों का षड़यंत्र

1931 की जनगणना में सबसे पहले अंग्रेजों ने जनजातीय समाज को आदिवासी के रूप में लिखना प्रारंभ किया परंतु प्रत्येक जनगणना में अलग करने के प्रयास को उनके ही जनगणना आयुक्तों ने अपनी टिप्पणियों से निष्फल कर दिया। तथा संपूर्ण भारतीय समाज का ही एक अंग जनजातीय समाज है यही प्रदर्शित हुआ।

विभिन्न जनगणना आयुक्तों ने अपनी टिप्पणियों में लिखा:-

...Every stratum of Indian society is more or less saturated with Animistic conceptions..... (- J A Bains, 1881 Census Commissioner)

"Animism more or less transformed by philosophy", and "no sharp line of demarcation can be drawn between Hinduism and Animism". (- Herbert Risley, 1901 Census Commissioner)

"मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रकृति पूजकों को अलग धर्म में नहीं लिखा जा सकता अत: अगली जनगणना में सभी प्रकृतिपूजकों को हिंदू लिखा जाए।"(पी.सी. टेलेन्ट्स, जनगणना आयुक्त 1921)

"हिंदू धर्म तथा ट्राइबल धर्मों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वे एक ही हैं।"(जे.एच. हटन, जनगणना आयुक्त 1931)

भारत की संविधान सभा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा का उत्तर देते हुए संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब अंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में सभी आदिवासी हैं, किसी एक वर्ग को आदिवासी नाम देना उचित नहीं होगा। अत: इस वर्ग को अनुसूचित जनजाति वर्ग के रूप में संविधान में पहचाना गया।

जनजातीय समाज की पहचान पर अभी भी भ्रम की स्थिति उन लोगों द्वारा निर्मित की जा रही है जो जनजातीय देवी देवताओं को छोड़कर अन्य आस्थाओं को अपना चुके हैं, परंतु आरक्षण तथा अन्य संवैधानिक लाभों के लिए जनजातीय सूची में बने रहना चाहते हैं। अत: जनजातीय समाज तथा अन्य हितैषी समाज का कर्तव्य है कि ऐसे तत्वों को जनजातीय सूची से बाहर (डिलिस्ट) करने हेतु प्रयास करें।

वर्तमान स्थिति

भारत के जनजाति समाज को संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण के 70 वर्ष पश्चात् भी जनजाति समाज को उसका अधिकार पूर्णरूप से नहीं मिल पाया है। जनजाति समाज को संविधानप्रदत्त अधिकारों जिनमें आरक्षण और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, का लाभ पूर्णरूप से न मिल पाने का कारण है, "जनजाति से अलग होकर धर्मांतरित होने वाले व्यक्तियों द्वारा इन संवैधानिक अधिकारों एवं सुविधाओं का अत्यधिक लाभ उठाना"।

जनजाति समाज की इस पीड़ा को सबसे पहले स्वर्गीय डॉ कार्तिक उरांव जी ने महसूस किया और समझा। उन्होंने स्वतंत्रता के 20 वर्षों के अंदर ही जनजाति समाज को हुए इस भीषण नुकसान को समझ लिया था। स्व. कार्तिक बाबू स्वयं झारखंड तत्कालीन बिहार क्षेत्र की उरांव जनजाति से आते थे।

संसद में रहते हुये उन्होंने लगातार जनजातियों के हित में अपनी आवाज उठाई और उन्हीं के प्रयत्नों

से संसद द्वारा 1968-69 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया और उसकी अनुशंसाओं के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 संसद में प्रस्तुत किया गया।

भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया के दौरान इस विषय पर संविधान सभा में अनेक बार बहस हुई तथा उसमें अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की परिभाषा की गई और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की परिभाषा की गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति की परिभाषा देते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो हिन्दू धर्म को छोड़ अन्य किसी धर्म को मानता हो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। किंतु अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा देते समय ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसी अंतर के कारण अनुसूचित जाति के जो लोग ईसाई या मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित हो जाते हैं, वे अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं की पात्रता नहीं रखते हैं। परंतु चूंकि यह बात अनुसूचित जनजाति की परिभाषा पर लागू नहीं है, इसलिए जनजाति के जो लोग ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं वे भी आरक्षण इत्यादि के लाभ लेते रहते हैं। यही सारी समस्याओं की जड़ है। कार्तिक बाबू ने जो आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए, उनके अनुसार अनुसूचित जनजातियों को मिले आरक्षण के लाभार्थियों में अधिकांश लोग ईसाई थे।

संसद द्वारा एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1968 में किया गया। इसमें लोकसभा के 22 और राज्यसभा के 11 सदस्य रखे गये थे। डॉ. कार्तिक उरांव भी इसके सदस्य थे। इस समिति ने कुल 22 बैठकें कीं और 17 नवंबर 1969 को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। इस रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के अलावा एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी थी - "2 अ कंडिका 2 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने जनजाति, 'आदि' मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा"। (पृष्ठ 29, पंक्ति 38 की अनुसूचि 2, कंडिका - 2अ)। किंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि संबंधित मंत्री ने इस सिफारिश को मानने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि इस प्रश्न को कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श कर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर देश भर के ईसाई मिशन से दबाव आने लगे कि वे इस सिफारिश का विरोध करें। ईसाइयों द्वारा 50 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर से श्रीमती इंदिरा गांधी को एक स्मरण-पत्र दिया गया कि वे इस सिफारिश को स्वीकार न करें।

स्वयं डॉ. कार्तिक उरांव ने 10 नवंबर 1970 को 348 संसद सदस्यों (322 लोकसभा से और 26 राज्यसभा से) के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सौंपा जिसमें संयुक्त संसदीय समिति की उक्त सिफारिश को स्वीकार करने की मांग की गई,परंतु सरकार इस विषय पर बहस कराने का साहस नहीं दिखा पाई। उसके पश्चात् 16 नवंबर 1970 को लोकसभा में बहस शुरू हो गई और 17 नवंबर 1970 को भारत सरकार की ओर से एक संशोधन पेश किया गया कि विधेयक में से संयुक्त संसदीय समिति

की उस सिफारिश को हटा लिया जाय। यह पूरे जनजातीय समाज के हितों पर भयंकर वज्राघात था। इस पर भी स्व. कार्तिक बाबू ने हार नहीं मानी और 24 नवंबर 1970 को लोकसभा में जोरदार बहस करते हुए संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश को मंजूर करने की पुरजोर मांग की। वे इतने भावुक हो गए कि उन्होंने सरकार से कहा कि या तो आप इस संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश को वापस लेने की बात को हटा दें या मुझे इस दुनिया से हटा दें। इस पर सभी संसद सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश का साथ दिया। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने बहस को स्थगित कर दिया और आश्वासन दिया कि बहस उसी सत्र के अंत में की जाएगी। परंतु दुर्भाग्यसे ऐसा न हो सका क्योंकि 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग हो गई और इसी के साथ जनजातीय समाज के उत्थान और कल्याण का और उनपर हो रहे भीषण अन्याय को दूर करने का जबरदस्त अवसर चला गया।

जनजाति सुरक्षा मंच का गठन

जनजाति समाज की इतनी महत्वपूर्ण मांग एवं हो रहे अन्याय के विरूद्ध कार्यवाही 70 वर्ष से लंबित है। इसी अन्याय को दूर करने के लिए ही जनजाति सुरक्षा मंच का औपचारिक गठन रायपुर, छत्तीसग़ढ में 30 अप्रैल एवं 1 मई 2006 को देश भर के 14 राज्यों के 85 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया, जिसमें अधिकांश जनजाति समाज के थे।

झारखण्ड के वरिष्ठ जनजाति नेता एवं पूर्व सांसद स्व0 श्री मोरेनसिंह पूर्ति इसके प्रथम राष्ट्रीय संयोजक बनाये गये। मंच का उद्देश्य है जनजाति समाज में से धर्मांतरित होकर अपने पूर्वजों के (परम्परागत-सनातन) धर्म को छोड़कर ईसाई या मुस्लिम हो जाने के बावजूद ऐसे धर्मांतरित नकली व अस्वीकृत लोगों द्वारा जनजातियों को देय आरक्षण का अधिकांश लाभ उठाने के कारण हो रहे अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाना। मंच की मांग है कि ऐसे छद्म-नकली जनजाति व्यक्तियों को जनजातियों के लिए बनी अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जाए।

महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपा

वर्ष 2009 में इस मांग के समर्थन में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। जिसमें पूरे देश से अनुसूचित जनजाति समाज के 28 लाख लोंगों ने इस मांग का समर्थन किया।18 जनवरी 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से जनजाति समाज के प्रमुख लोगों ने मुलाकात की और 28 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उन्हें सौपा।

2020 अक्तूबर महीने में इस मांग के संबंध में 282 जिलाधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। वर्तमान समय में चल रही रैलियां इसी आंदोलन की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। ये रैलियां आंदोलन की मात्र शुरुआत है। संघर्ष का रास्ता लंबा है। आइए! जनजाति सुरक्षा मंच के साथ जुड़े। ■

अमृत वचन

दुष्ट लोग अपने दोष के संबंध में जन्मान्ध होते हैं और दूसरे का दोष देखने में दिव्य नेत्र वाले होते हैं। वे अपने गुण का वर्णन करने में गला फाड़-फाड़ कर बोलते हैं और दूसरे की स्तुति के समय मौनव्रत धारण कर लेते हैं।

- माघ (शिशुपाल वध)

संस्कृति और आस्था अविभाज्य है

- प्रमोद पेठकर
अ.भा. प्रचार-प्रसार प्रमुख

धर्म, संस्कृति और परम्परा का सरंक्षण तथा संवर्धन करते हुए जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास वनवासी कल्याण आश्रम का लक्ष्य है। इस हेतु सन् 1952 से देश के विशेषत: जनजाति क्षेत्र में शिक्षा, आरोग्य, स्वावलम्बन जैसे कई सेवा प्रकल्पों का हम संचालन कर रहे हैं। अत: संगठन की अपनी एक छवि बनी है कि यह सेवा संगठन है। कुछ वर्ष पूर्व कार्यकर्ताओं में हुई चर्चा के आधार पर, हमने सेवा के साथ-साथ

★ जनजाति समाज पर हो रहे अन्याय के बारे में,
★ जनजाति समाज के अधिकारों के लिए,
★ समाज की अन्य समस्याओं के लिए भी काम करना चाहिए का विचार हुआ।

जनजाति समाज की कई समस्याएँ है जैसे सामूहिक वनाधिकार, विस्थापन और पुर्नवास, भूमि अधिग्रहण इत्यादि। इन समस्याओं के समाधान हेतु कल्याण आश्रम के हितरक्षा आयाम के कार्यकर्ता सक्रिय हैं ही। परंतु जनजाति समाज का नेतृत्व करने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ जब चर्चा सत्र का आयोजन हुआ तो एक और समस्या ध्यान में आई। **वह है दोहरा लाभ लेने की समस्या**। चर्चा में सम्मिलित सभी का एक मत था कि जनजाति समाज के जीवन को प्रभावित करने वाली इस समस्या पर हमने काम करना चाहिए। चर्चा के अंत में एक स्वतंत्र मंच बनाने पर भी विचार हुआ। **"जनजाति सुरक्षा मंच" इस नाम से मंच गठित हुआ**। मंच के साथ देश भर के कई व्यक्ति जुडते गए।

जनजाति समाज की परम्पराएं, रीति-रिवाज, आस्था को छोड़कर जब एक व्यक्ति अन्य धर्म (जैसे इसाई अथवा मुस्लिम) में चला जाता है, तो उसे अन्य धर्मावलम्बी कहना चाहिए। उसे जनजाति अथवा आदिवासी कहना उचित नहीं होगा। जैसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति अन्य धर्म में चलें जाने से उसकी अनुसूचित जाति की पहचान नहीं रहती। वैसे ही जनजाति समाज के बारे में होना चाहिए। बहुत वर्षो पूर्व इस सन्दर्भ में संविधान सभा में चर्चा चली थी। परन्तु उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

लोकसभा सांसद स्व. कार्तिक उरांव जी ने यह प्रश्न 1967 में उठाया था। इस हेतु 1970 तक तत्कालीन 348 सांसदों से सम्पर्क कर उनकी सहमति भी प्राप्त की और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन हुआ परन्तु विषय अधूरा ही रहा।

इसी सन्दर्भ में मंच ने 2009 में छोटे-बड़े नगरों से लेकर सुदूर जनजाति गाँवों में सम्पर्क कर 28 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. जगदेव राम उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हर्ष चौहान,

जनजाति नेता स्व. दिलीप सिंह भुरीया, सुश्री अनुसूया उडईके, तत्कालीन जनजाति हितरक्षा प्रमुख विष्णुकान्त जैसे अन्य कई महानुभावों ने 18, जनवरी-2010 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को संग्रहित हस्ताक्षर सौंपे और एक ज्ञापन भी दिया।

संक्षेप में कहें तो पिछले कुछ समय से इस विषय के बारे में सतत संधर्ष चल ही रहा है। आशा है कि भविष्य में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा इस विषय का सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष है वैसा एक कानूनी पक्ष भी है। उस पर भी विचार होना चाहिए।

देश में 2014 की जनगणना अनुसार 8.6 प्रतिशत अर्थात 104,545,716 जनजाति समाज की जनसंख्या है। 2021 में पुन: जनगणना होना अपेक्षित था, परन्तु कोरोना महामारी जैसी स्थिति में वह सम्भव नहीं हो सका। हम ऐसा अनुमान करें कि इसमें कुछ 20 प्रतिशत वृद्धि हुई होगी, तो 12.5 करोड़ जनसंख्या मान सकते हैं। भारत में जनजाति समाज पाँचवीं तथा छठवीं अनुसूची के क्षेत्र और कुछ अन्य राज्यों में निवास करता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जनजाति लोकसंख्या नहीं है।

संविधान ने अनुसूचित जाति की तरह अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण (7.5 प्रतिशत) दिया है। सरकारी सेवा में तथा केन्द्र तथा राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के सन्दर्भ में यह आरक्षण उपलब्ध है। 1950 से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति हेतु अनुच्छेद 341 में तथा अनुसूचित जनजाति हेतु अनुच्छेद 342 में अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार ओबीसी और ईबीसी हेतु भी प्रावधान है।

क्या है यह अनुच्छेद 342?

इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, सम्बन्धित राज्यपाल महोदय से परामर्श कर, सार्वजनिक सूचना द्वारा किसी जनसमूह को अनुसूचित करते हैं। वैसे ही किसी नए जनसमूह को जनजाति के रूप में अनुसूचित करना अथवा किसी जनसमूह को अनुसूची से हटाने का निर्णय भी कर सकते हैं। भारत की संसद को भी इस प्रकार सूची में शामिल करने अथवा हटाने का अधिकार है।

इसी लेख में हमने प्रारम्भ में उल्लेख किया है कि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है, धर्म बदलते ही वह अनूसूची में नहीं रहता। परन्तु अनुसूचित जनजाति के लिए वैसा नहीं है। यदि जनजाति समाज में कोई व्यक्ति धर्म बदलता है, तो उसे भी अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहना हो तो धर्मान्तरित व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की पहचान नहीं खोता और धर्मान्तरित व्यक्ति दोहरा लाभ लेता है।

ये कैसे सम्भव है ? इसके बारे में सरल शब्दों में कहे तो धर्मान्तरित व्यक्ति लाभ लेने हेतु कभी अल्पसंख्यक की खिड़की के सामने खड़े होता है और अगले ही पल एस.टी. की खिड़की के आगे भी खड़ा होता है। लाभ दोनों प्रकार से उठाता है। एक ही व्यक्ति ने एस.टी. के नाम पर चुनाव लड़ा और विधानसभा सदस्य भी रहा। वही व्यक्ति राज्य के अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य भी रहा। है न ये दोहरा लाभ। वास्तव में संविधान ने संस्कृति, रीति-रिवाजों, परम्पराओं की पहचान को सुरक्षित रखते हुए विकास हेतु अनुसूचित करते हुए जनजाति समाज को आरक्षण दिया है परन्तु वही आरक्षण धर्मान्तरित व्यक्ति को संस्कृति, परम्परा की पहचान बदलने के बाद भी मिलते रहता है। वास्तव में यही अन्याय है। किसी व्यक्ति को कौन से धर्म का पालन करना है यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है।

इसलिए धर्मान्तरित क्यों हुआ? यह अभी चर्चा का विषय नहीं है। परन्तु जब वह जनजाति समाज की संस्कृति, परम्परा, उसके पूर्वजों को नहीं मानता तो उसे जनजाति के रूप में लाभ क्यों मिलना चाहिए? फिर भी यदि उसे वह लाभ मिल रहा हो, तो जिसे मिलना चाहिए उसका हिस्सा अपने आप कम हो जाता है। विकास के मार्ग में यह एक अवरोध ही मानना चाहिए।

क्या यह समस्या अभी-अभी सामने आई है? तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि पहले कभी संसद में इसक लिए चर्चा भी हुई है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन भी हुआ था। संसद में 342 के राष्ट्रपति आदेश में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत किया, तो वह जेपीसी को भेजा गया। वहां भी विस्तृत विचार हुआ। जब मतदान की बारी आई तो 33 में से 32 सदस्यों ने इसके पक्ष में और एक सदस्य ने विरूद्ध में मत दिया। अर्थात एक को छोड. कर सभी की सहमति थी।

एक महत्वपूर्ण बात यानि स्व. कार्तिक उरांव ने इसके सन्दर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा के 348 सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। उन्होंने अपनी ओर से पुरजोर प्रयास किए। परन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केवल आश्वासन देकर विधेयक को अर्थात इस विषय को टाल दिया। तबसे कई वर्षो तक यह ठण्डे बस्ते में रहा।

व्यक्ति की दोनों प्रकार की पहचान एक समस्या है और पहले कभी इसके सन्दर्भ में कोर्ट में भी केस दाखिल हुआ था, तो कोर्ट ने भी जनजाति समाज के हित में निर्णय दिया था। किसी भी जागरूक व्यक्ति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करना चाहिए, तो विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। जनजाति समाज के पढ़े-लिखें व्यक्ति, जनजाति समाज की सेवा में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता भी इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर विषय को ठीक तरह से समझेंगे, तो समाज को बहुत लाभ होगा। समाज में सही विमर्श खड़ा होने की भी आवश्यकता है और इस हेतु सज्जनशक्ति का सक्रिय होना बहुत आवश्यक है।

जनजाति सुरक्षा मंच ने जनजाति समाज पर हो रहे इस अन्याय के सन्दर्भ में प्रयास करना प्रारम्भ किया तो पहले हस्ताक्षर संग्रह, फिर राष्ट्रपति से सम्पर्क जैसे प्रयास किए। अभी-अभी मार्च-2022 में फिर से वर्तमान लोकसभा एवं राज्यसभा के 445 सांसदों के सम्पर्क का कार्यक्रम हुआ। इस हेतु देश भर से कार्यकर्ता दिल्ली आए और दलीय राजनीति से उपर उठकर सभी सांसदों से मिले। सांसदों को इस हेतु कछ साहित्य भी दिया। सम्पर्क के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसदों को सुझाव दिया कि आप इस विषय को विभिन्न सार्वजनिक मंच से उठाइए, समाज में भी इस हेतु चर्चा होनी चाहिए, जैसी बात कही गई। विषय को गंभीरता से सुनते हुए अधिकांश सांसदों ने सकारात्मक अभिमत दिया। जैसे सांसदों का सम्पर्क है वैसे ही देश के जनजाति क्षेत्र में एक छोटे से गॉव के सरपंच से लेकर नगर, तहसील, जिला पंचायत, विधानसभा सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों का भी संपर्क हो रहा है। कानून के जानकार, सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति एवं जनजाति क्षेत्र में समाज सम्पर्क भी हुआ है। हम आपके साथ है, इस बारे में एक स्वतंत्र आयोग का गठन कर इस महत्वपूर्ण विषय को आगे ले जाना चाहिए जैसे कई सुझाव भी मिले हैं।

अब अगले चरण में देश के 200 से अधिक

जनजाति जिलाओं मे रैली की योजना बनी है। समाज जागरण और संसद में इसके बारे में निर्णय हेतु प्रयास चल रहे है। समय-समय पर देश की संसद ने कई कठिन समस्याओं के सन्दर्भ में निर्णय किए हैं। इसके बारे में भी संसद निर्णय कर सकती है। परन्तु लोकतंत्र में शक्ति की बात मानी जाती है। जनजाति समाज को भी संगठित होकर एक आवाज में कहने की आवश्यकता है।

मन में एक विचार आता है कि क्या यह समस्या केवल जनजाति समाज की है, या सम्पूर्ण देश की है? समस्या के समाधान हेतु गैर जनजाति समाज की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एक बात समझने की आवश्यकता है कि इस वैचारिक युद्ध में समाज विघातक तत्वों का सामना करने गैर-जनजाति समाज को भी मुखर होना चाहिए। जब हम कहते है कि सभी की नसों में एक ही रक्त बहता है तो सभी भारतवासियों को सम्पूर्ण शक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। जनजाति समाज को भी 'हम सब एक है' कि अनुभूति होगी। भारतीय संस्कृति में देवों की पूजा, अर्चना का विशेष महत्व है। जीवन के सोलह संस्कारों से लेकर सभी परम्पराओं में हम देव पूजा करते है। यह अपनी आध्यात्मिकता का परिचायक है। अनुभव के आधार पर हम विश्वास के साथ कह सकते है कि संस्कृति का सीधा सम्बन्ध आस्था, श्रद्धा अथवा विश्वास के साथ है। उसे चतुराईपूर्वक अलग मानते हुए, चर्चा में लाने और दोनों भिन्न है ऐसा विमर्श खडा करने का प्रयास किया गया है। इसमें समाज विघातक शक्तियाँ कार्यरत है। केवल जनजाति समाज को नहीं अपितु सभी भारतवासियों को इस भ्रमजाल में फँसाने के प्रयास होते दिखाई देता है। हमको सजग होकर यह स्पष्ट रूप में कहना चाहिए कि **संस्कृति और आस्था अविभाज्य है**। ■

अनुकरणीय

- मोहनलाल गर्ग
मंत्री, हावड़ा महानगर

पांचजन्य-सा एक बार जागरण मन्त्र का गुंजन हो,
छन्द-छन्द की पंक्ति-पंक्ति में जीवन का स्पन्दन हो,
राष्ट्रधर्म के लिए अमर हो अनुकरणीय आचरण तुम्हारा!
नमन है, वंदन है राष्ट्र-सेवक और राष्ट्रसेविका तुम्हारा!

आज जब लोग सिर्फ दिखावे के नाम पर अपने बच्चों के शादी – विवाह में करोड़ों खर्च देते हैं ....ऐसे स्वांगपूर्ण समाज के सामने उत्तर हावड़ा से पूर्वांचल कल्याण आश्रम के समर्पित कार्यकर्ता श्रीयुत मनोज अग्रवाल ने अपने सुपुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में कल्याण आश्रम को 100000/- की धनराशि अनुदान हेतु भेंट की है। इसी कड़ी में मध्य हावड़ा से कार्यकर्त्री श्रीमती रेखा जी अग्रवाल ने अपनी सुपुत्री के दाम्पत्य जीवन के शुभारंभ होने पर 11000/- की धनराशि और रेखा जी के समधी दयाकिशन अग्रवाल जी ने भी 21000/- का अनुदान दिया है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं में भाव की प्रधानता है। अपने बच्चों के साथ – साथ वनवासी बच्चों के मुखमंडल पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास रहता है। ■

अमृत वचन

वनवासी अपढ़ नहीं है, असभ्य नहीं है, पिछड़े नहीं है। वे भारत के संपूर्ण विकास की रीढ़ है। उनका विकास नहीं होता है तो भारत का विकास नहीं हो सकता। वनवासी जगेगा तो देश जगेगा।

- कुप.सी. सुदर्शन

नागालैंड वनयात्रा
दिनांक 5 मई से 9 मई 2022

- मनोज अग्रवाल
सह संगठन मंत्री, हावड़ा महानगर

भारत के उत्तर पूर्व के पहाडों के बीच छिपा हुआ नागालैंड राज्य है जिसने अपनी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं के माध्यम से हमेशा रहस्यवाद और विस्मय की भावना पैदा की है।

ऐतिहासिक रूप से, नागालैंड के लोग हमेशा बहुत बहादुर योद्धा रहे हैं जो अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हैं और इसके लिए हमारे पास रानी मां गादिंल्यू का ताजा उदाहरण है। नागालैंड की दिमासा जनजाति को भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का वंशज माना जाता है। लोगों में अभी भी बहुत सी भ्रांतियां हैं कि नागालैंड एक रहने योग्य और यात्रा करने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है।

लेकिन 10 सदस्यों वाली कल्याण आश्रम कोलकाता टीम की वन यात्रा के दौरान यह पूरी तरह गलत साबित हुआ। वनयात्रियों की कोलकाता टीम 5 को दोपहर दीमापुर हवाई अड्डे पर पहुंची और हवाई अड्डे पर जनजाति विकास समिति नागालैंड (जेवीएसएन-कल्याण आश्रम नागालैंड में इस नाम से पंजीकृत है) कार्यकर्ताओं के साथ नगर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया।

कोलकाता की टीम का उत्तर पूर्व के पारंपरिक उत्तरीय पहनाकर स्वागत किया गया।

हवाई अड्डे से हम लोबो ग्राम जाने के लिए आगे बढ़े, जहां हमारा एक शिशु शिक्षा केंद्र है, जिन वाहनों से हम लोबो गाँव के बाहरी इलाके में पहुँचे, उन्हें लगभग 1 कि.मी. दूर छाड़ना पडा़ और गाँव तक पहुँचने के लिए हमें बाकी रास्ता ऊँचे-ऊँचे खेतों पर चलकर पूरा करना पडा़। यह 1 कि.मी. हाथी का जंगल है और दोपहर 3 बजे के बाद हाथियों के बाहर आकर लोगों पर हमला करने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए, हमें गाँव की अपनी यात्रा यहीं समाप्त करनी पड़ी और हाथी के आने के समय से पहले लौटना पडा़। वस्तुत: उस गाँव के लोग जो उस गांव से बाहर काम पर जाते हैं और उन्हें सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच लौटना पडता है. उस गाँव में लगभग 150 लोग थे और ज्यादातर बिहार के प्रवासी श्रमिक थे जो पिछली चार से पाँच पीढ़ियों से वहाँ बसे हुए हैं।

गाँव में उत्तरीय भेंट और पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति के साथ हमारा स्वागत किया गया। हम वहां शिशु शिक्षा केंद्र में लोगों से मिले, चाय पी, प्रार्थना की और गायन किया। हमें पता चला कि गाँव के मुखिया की लगभग 6 साल की एक बेटी थी जो जन्म से ही दोनों आँखों से अंधी थी, और स्थानीय डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह कभी देख पाएगी।

जेवीएसएन, दीमापुर कार्यकर्ता श्रीमती ललिता जी ने लडक़ी और उसके पिता को रोटरी नेत्र अस्पताल में जोरहाट भेजने की व्यवस्था की, जहाँ एक आँख का ऑपरेशन किया गया और अब वह एक आँख से देख सकती थी। कुछ महीने बाद दूसरी आँख का ऑ

परेशन किया जाएगा। इस वनयात्रा की यह एक सबसे बड़ी उपल्ब्धि है । पूरी वन यात्रा की यह सबसे मार्मिक और संतोषजनक घटना थी। उस छोटी बच्ची, उसके परिवार और पूरे गांव की खुशी की कल्पना करते हुए हम अकल्पनीय भावनाओं से भर जाते हैं। दीमापुर नगर समिति के सदस्यों ने हमारे एक शिशु शिक्षा केंद्र शिक्षक (रायपुर छात्रावास के पूर्व छात्र) के आवास में रास्ते में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वहां से हम बाल संस्कार केंद्र जाने के लिए बलिजन गांव गए जहां बच्चों ने अपनी पारंपरिक प्रार्थना और नृत्य किया। इसके बाद हम दीमापुर में जैन धर्मशाला के लिए रवाना हुए जहाँ हमें रात्रि विश्राम करना था। रात्रि भोज के लिए हमें जेएसवीएन नगर समिति के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल के आवास पर आमंत्रित किया गया था।

अगले दिन हम नाश्ते के बाद जल्दी निकल गए, तेनिंग गाँव के लिए जो दीमापुर से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। मार्गदर्शन के लिए कोलकाता टीम के साथ श्री रघुनंदन जी और जेवीएसएन, दीमापुर नगर समिति के सदस्य थे। हालांकि दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन पहाड. ों में बेहद खराब सड़कों (वास्तव में कोई सडक़ नहीं) में 8 घंटे का एक बहुत ही कठिन ड्राइव था। इसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया कि 30 साल पहले हमारे कार्यकर्ता इस स्थान पर कैसे पहुंचे होंगे जब यह स्कूल शुरू किया गया।

रास्ते में हमने दोपहर का भोजन किया, जिसे विशेष रूप से ललिता जी (जो पूरी यात्रा के दौरान हमारे लिए एक ममतामयी हस्ती थीं) द्वारा तैयार किया गया था । तत्पश्चात हमें जेवीएसएन के एक कार्यकर्ता के आवास पर ले जाया गया । हम शाम करीब साढ़े चार बजे जेलियांग्रोंग हेराका स्कूल, टेनिंग पहुंचे। सुखदायक गीतों और ढोल की थाप ने स्कूल परिसर में हमारा स्वागत करते हुए हमें अपनी दिन भर की थकान और थकान भरी यात्रा से तुरंत तरोताजा कर दिया।

पुन:, पारंपरिक उत्तरीयों और कुछ बहुत ही रोचक और सुंदर गीतों और नृत्यों के साथ हमारा भव्य स्वागत हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्कूल गतिविधियों और उपलब्धियों की एक विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी। हमारे कार्यकर्ता, श्री देबोप्रिया दास (जो लंबे समय से उन्हें पढा रहे हैं) का अन्य शिक्षकों और प्राचार्य द्वारा हार्दिक स्वागत अंतर्मन को छू लेने वाला और हृदय को अभिभूत कर देने वाला था। स्कूल से जुड़ा एक बॉयज हॉस्टल है और स्कूल से कुछ दूरी पर एक गर्ल्स हॉस्टल है। हम रात को स्कूल परिसर के ही गेस्ट रूम में रुके थे।

अगली सुबह हम स्कूल की प्रात: सभा में शामिल हुए और उसी कठिन और कष्टदायी 8 घंटे की यात्रा पर वापस दीमापुर के लिए रवाना हुए। उस रात हमें श्री चंदू अग्रवाल के आवास पर रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया था। अगले दिन कोहिमा के पूरे दिन के दर्शनीय स्थलों की यात्रा थी जहाँ हमने प्रसिद्ध काली मंदिर और युद्ध स्मारक का दौरा किया। हमने कोहिमा नगर कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का भोजन किया।

शाम को हमने जेवीएसएन कार्यालय का दौरा किया। एक विशाल खुली जगह के साथ – साथ कार्यालय का यह भवन एक विशाल तीन मंजिला इमारत के रूप में शोभायमान है ।साथ ही फलदार पेडों के साथ एक वृक्षारोपण क्षेत्र है जो लगभग 30,000/- रुपये की वार्षिक आय प्राप्त करता है। कार्यालय में लड़कियों के लिए एक छात्रावास भी है।

हमने छात्रावास के हॉल में एक अच्छी बैठक की जहां कई सदस्यों ने अपनी भावना और अनुभव व्यक्त किए। अगले दिन हमें जेवीएसएन नगर कार्यकर्ताओं द्वारा हवाई अड्डे पर वापस छोड़ दिया गया । हम सभी कल्याण आश्रम के कार्य और जेएसवीएन द्वारा दिए गए सभी प्यार, देखभाल और हार्दिक स्वागत की बहुत प्यारी यादों के साथ कोलकाता वापस लौट आए।

इस वनयात्रा के साथ जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु:

1) पिछली कुछ शताब्दियों में 95% नागा लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और हमारे कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में काम करना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा है।

2) नागालैंड को दिए गए विशेष दर्जे के अनुसार, केवल वे गैर-नागा लोग जिन्होंने 1971 से पहले संपत्तियां स्थानांतरित कीं और खरीदीं, उनके मालिक हो सकते हैं और उनका अपना व्यवसाय हो सकता है। 1971 के बाद, गैर नागा लोग नागा पार्टनर के बिना नागालैंड में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं या कोई व्यवसाय नहीं चला सकते हैं।

3) सात से आठ भूमिगत संगठन हैं जो समानांतर सरकार चलाते हैं और प्रत्येक व्यवसाय के मालिक को शांति खरीदने और अपना व्यवसाय चलाने के लिए हर साल बडी राशि का भुगतान करना पड़ता है।

4) इन सभी कठिनाइयों के बावज़ूद, मारवाड़ी, जैन और सिखों की एक बड़ी आबादी है, जिन्होंने वहां सफल और समृद्ध व्यवसाय स्थापित किए हैं और मंदिरों, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं और अन्य सामुदायिक सेवा कार्यों के निर्माण में बहुत योगदान दे रहे हैं।

5) हर साल कोलकाता/हावडा कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए धन से लगभग 20 से 25 लाख रुपये नागालैंड भेजे जाते हैं और हमारी विभिन्न परियोजनाओं में एक-एक रुपया बहुत अच्छी तरह से खर्च किया जाता है। इस वनयात्रा वृतांत के सम्पूर्ण होने पर श्रीमती शकुंतलाजी बागरी को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए धन्यवाद, जो उनके प्रयासों के बिना संभव नहीं था।

दीमापुर में हमारे कार्यकर्ता श्री कृष्ण गोपाल जी को विशेष धन्यवाद देना बनता है जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य-समस्याओं के होते हुए भी प्रत्येक क्षण हम सभी कार्यकर्ता भगिनी – बंधुओं की देखभाल की। कार्यकर्ता श्री रघुनंदन जी को साधुवाद कहना हम कैसे भूल सकते हैं जो वनयात्रा में पूरे समय हमारे साथ बने रहे और यात्रा के दौरान हमारी हर सुविधा की देखभाल की। इस वृतांत को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी कार्यकर्ता और भी अधिक प्रेरित हों तथा वनवासी भाई – बहनों के उत्थान के लिए सतत अग्रसर रहें।

एक और उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि यदि कोलकाता दल के कार्यकर्ता साथ न होते तो यह वनयात्रा कभी भी सुगम नहीं बन सकती थी। उन सहयात्रियों को याद कर लेना भी समीचीन है। ये हैं वे सहयात्री रत्न - श्रीमती शकुंतला बागड़ी, श्री कुम्भन दास मूंधड़ा, श्री संजय रस्तोगी, श्रीमती सीमा रस्तोगी, श्री विवेक गोयल, श्रीमती अलका अग्रवाल, श्रीमती सीमा मोहता, श्रीमती अमिता बंका एवं श्रीमती वीणा मरोदिया। ■

त्रैवार्षिक महिला कार्य बैठक वृत्त

- कविता शेटे, वनवासी कल्याण आश्रम
महिला टोली कार्यकर्ता, पूना महानगर, महाराष्ट्र

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम प्रांत महिला कार्य प्रमुख-सहप्रमुख द्विदिवसीय त्रैवार्षिक बैठक अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम महिला प्रमुख सुश्री वीणापाणि दासशर्मा और सह महिला प्रमुख अनुराधा भाटिया के मार्गदर्शन में दिनांक 23 व 24 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के पूना महानगर में स्थित महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान में संपन्न हुई। इस बैठक में 31 प्रांतों से कुल 72 महिलाएं उपस्थित थी जिनमें 3 अखिल भारतीय महिला अधिकारी, 8 क्षेत्रीय महिला प्रमुख, 48 प्रांत महिला प्रमुख-सहप्रमुख, 2 प्रांत महिला टोली सदस्य, 8 अखिल भारतीय महिला टोली सदस्य, प्रांत की अध्यक्षा - उपाध्यक्षा, कुछ सक्रिय महिला कार्यकर्ता, तेलंगाना प्रांत से स्पर्धा परीक्षा में पढ़ने वाली 3 छात्राएं सहभागी थी।

> अखिल भारतीय महिला कार्य प्रमुख-सहप्रमुख बैठक त्रैवार्षिक होती है। अपने अपने प्रांतों में प्रतिकूल सामाजिक, नैसर्गिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में भी कल्याण आश्रम कार्य दृढ़ निश्चय से सक्षमता और सफलता से ध्येयपूर्ति की दिशा में करते रहना, कार्य प्रचारार्थ एवं प्रसारार्थ प्रवास नियोजन करना, महिला कार्यकर्ता संख्या बढ़ाना, कार्य प्रभावी होने की दृष्टि से वनवासी नेतृत्व को प्रोत्साहन पथदर्शन करके सक्रिय करना, प्रांत महिला कार्यकर्ताओं का कार्य के प्रति उत्साहवर्धन करना आदि अनेकों विषयों पर चर्चा तथा विचारविमर्श करना इस बैठक का उद्देश्य होता है।

इस बैठक व्यवस्थापन के लिए निधि संकलन का कार्य बैठक के दो माह पहले एक पत्रक द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष रूप से शुरू किया गया। निधि संकलन का आशय था महिला कार्य का महत्व, बैठक का संक्षिप्त उद्देश्य, पूना महानगर यजमान होने के नाते भारत के सभी प्रांतों से आने वाली सक्रिय बहनों के आतिथ्य-सत्कार तथा उनके कार्य सम्मान हेतु उपहार भेंट का उत्तरदायित्व समझते हुए 1100/- रुपए स्वागत निधि का आह्वान किया। इस आह्वान को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और मिलने वाली निधि अधिकतर ऑनलाइन कल्याण आश्रम के पूना शाखा के बैंक खाते में जमा हुई। दाताओं को दी जाने वाली रसीद में उनका पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, पैन कार्ड नंबर तथा प्राप्त रकम इत्यादि आवश्यक सूची का उल्लेख किया गया। इस प्रकार के निधि संकलन में पूना महानगर महिला टोली का विशेष योगदान रहा है। बैठक व्यवस्थापन का कुल मिलाकर आर्थिक व्यय रुपये 4,20,000/- हुआ जिसका मुख्य भाग रुपए

3,50,000/- का संकलन पूना की केवल महिला टोली ने किया है।

जिस स्थान पर बैठक का आयोजन था वह महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान अत्यंत पवित्र वास्तु मानी जाती है जिसका कारण है भारतरत्न महर्षि धोंडो केशव कर्वे एवं इनका महिलाओं के लिए अतुल्य कार्य। 14 जून 1896 के दिन महर्षि कर्वेजी ने इसी वास्तु में अनाथ विधवाओं के लिए कार्य प्रारंभ किया था। भारत के पारतंत्र्य काल से ही अनेकों सामाजिक, आर्थिक प्रतिकूलताओं से अथक लड़ते हुए, दिव्य अग्निपरीक्षा का सामना करते हुए महर्षि ने दृढ़ निश्चय से अति परिश्रम पूर्वक महिलाओं के लिए कुप्रथाओं का विरोध एवं उच्चाटन का कार्य किया तथा समस्त महिला वर्ग के शिक्षा, स्वावलंबन और उत्कर्ष का अभियान शुरू किया जो उनके पश्चात आज भी बोधि वृक्ष जैसा अव्याहत फैलते हुए शिक्षा के सर्व क्षेत्र में महिलाओं का आधार और पथदर्शक है। ऐसे तीर्थसमान पूजनीय स्थल पर अखिल भारतीय महिला कार्य की विशेष बैठक का संपन्न होना यह अभिमानास्पद संस्मरणीय संयोग मानो वंदनीय महर्षि के उत्तुंग कार्य के प्रति समस्त महिला वर्ग का कृतज्ञ अभिवादन है।

बैठक में सहभागी होने वाली सभी महिलाओं का स्वागत-सत्कार पूना महानगर ने आत्मीयतापूर्वक सांस्कृतिक पद्धति से उपहार भेंट देकर किया। यह सम्मान भारत माता की बेटियों का तथा उनके सेवा कार्य का था। जिसका स्वरूप था साड़ी, धन-धान्य रूपक ओटि, पूना का विशेष व्यंजन - बाकरवड़ी मिठाई और बैठक का स्मृतिचिह्न। स्मृतिचिह्न में जीजा माता के साथ बालशिवाजी की प्रतिमा अंकित की गई है। जीजा माता स्त्रीशक्ति, सुसंस्कार, ज्वलंत धर्माभिमान, मातृभूमि प्रेम का मूर्त रूप और उनके सुपुत्र हमारे ऐतिहासिक आराध्य, सकारात्मकता के ऊर्जा स्त्रोत तथा सत्कार्य को बल प्रदान करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज यह प्रतिमाएं सदैव ही सद्हेतु ध्येयपूर्ति की ओर अविश्रांत कार्यप्रवाह में रहने के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। 350 वर्ष पहले मुगल आक्रमण काल में स्वराज्य और सुराज्य की कल्पना करते हुए जीजा माता ने पूना से ही कार्य आरंभ किया था और अपनी सुपुत्र बाल शिवाजी को अपनी सभी विशेषताओं से, संस्कारों से मंडित करते हुए स्वराज्य-सुराज्य की स्थापना के लिए समर्थ बनाया था। ऐसे ही आदर्श पथ पर चलते हुए हमारे भारत भर की महिलाएं माता, बहन, बेटी के रूप में मातृभूमि सेवा कार्य आगे बढ़ाने में स्वसामर्थ्य से लगी रहे - यह इस स्मृतिचिह्न का आशय है।

बैठक हेतु उपस्थित भारत के सर्व प्रांतों की अतिथि महिलाओं के आतिथ्य हेतु निधि संकलन, सुविधा युक्त निवास व्यवस्था, विशेष मिष्ठान्न और व्यंजनों के साथ भोजन व्यवस्था, सुनियोजित यातायात व्यवस्था, वैद्यकीय चिकित्सा व्यवस्था, बैठक सभागृह में प्रसन्न सुशोभित मंच व्यवस्था, पूना दर्शन की विशेष व्यवस्था आदि का व्यवस्थापन पूना महानगर महिला टोली ने उत्साह और सक्षमता से सफलतापूर्वक किया जिसमें आवश्यकतानुसार बंधु कार्यकर्ताओं का भी सहकार्य रहा है। पूना महानगर में यह त्रैवार्षिक द्विदिवसीय अखिल भारतीय महिला कार्य प्रमुख-सहप्रमुख बैठक आयोजन सर्व प्रांत महिला कार्यकर्ताओं के लिए संस्मरणीय एवं पथदर्शक हुआ और पूना महानगर कल्याण आश्रम के लिए व्यवस्थापन की यह सेवासंधि समाधानपूर्ण, मार्गदर्शक एवं अनुभव संपन्न करने वाली रही है। ■

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष

रामचंद्र खराड़ी : एक प्रेरक व्यक्तित्व

- डॉ. रंजना त्रिपाठी
कार्यकर्ता, दक्षिण समिति

दलित मानवता के अमर सुहाग,
तुम्हारा प्रतिपल विकसित भाग
युग में श्रम का जय घोष लिये
चल पडा़ तुम्हारा स्यंदन है
अभिनन्दन है, अभिनन्दन है।।

राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी रामचन्द्र खराडी को केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल ने कल्याण आश्रम के तीसरे अध्यक्ष के रूप में चुना है। बाला साहब देशपाण्डे के निधन के बाद 1995 से लेकर जगदेवराम उरांव ने 25 वर्ष तक कल्याण आश्रम का नेतृत्व किया। 15 जुलाई 2020 को जशपुर में जगदेवराम के निधन के पश्चात यह पद खाली हो गया था। कर्तव्यपरायण, निर्भीक, सतत संघर्षशील रामचन्द्र खराडी का जन्म 15 जनवरी 1955 को राजस्थान के उदयपुर जिले के खरबर गांव के भील जननाति परिवार में हुआ। उन्होंने स्नातक तक की पढा़ई पूर्ण करके सरकारी सेवा में प्रवेश किया। तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला अधिकारी आदि सरकारी पदों में रहकर राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्य किया।

राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी रामचन्द्र खराडी को केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल ने कल्याण आश्रम के तीसरे अध्यक्ष के रूप में चुना है। बाला साहब देशपाण्डे के निधन के बाद 1995 से लेकर जगदेवराम उरांव ने 25 वर्ष तक कल्याण आश्रम का नेतृत्व किया। 15 जुलाई 2020 को जशपूर में जगदेवराम के निधन के पश्चात यह पद खाली हो गया था। 2014 में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। जनजाति समाज के परंपरागत धर्म संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ गायत्री परिवार के कार्य से भी 1995 में वह संपर्क में आए। उनके नेतृत्व में 17 स्थानों पर गायत्री माता मंदिर निर्माण कार्य हुआ। 108 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ में यजमान की भी भूमिका उन्होंने निभाई थी। कई स्थानों पर सामूहिक विवाह कराने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनका कल्याण आश्रम से संपर्क 2003 में डुंगरपुर कल्याण आश्रम के भवन निर्माण के समय में हुआ। 2016 में वह राजस्थान के अध्यक्ष बने। 2019 में दुबारा इस दायित्व के लिये वे चुने गये। गत दो वर्षों से वे कल्याण आश्रम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी कार्यरत थे।

नासिक में आयोजित जनजाति प्रबुद्धजनों के सेमिनार में खराडी ने भाग लिया था। दिल्ली में आयोजित मीडिया प्रवक्ता शिविर, हितरक्षा आयाम के अन्तर्गत हैदराबाद में PESA Act पर आयोजित

कार्यशाला, मुंबई में नीति दृष्टिपत्र तैयार करने हेतु किये सेमिनार आदि कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। गत पांच वर्षों में कल्याण आश्रम के सभी अखिल भारतीय कार्यक्रम में उनका सानिध्य देशभर के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। देशभर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ उनका अच्छा संपर्क भी स्थापित हो चुका है। 2017 का **संत ईश्वर सेवा पुरस्कार** रामचन्द्र खराडी को प्राप्त हुआ था। बालासाहब देशपाण्डे और जगदेवराम के कार्यों को आगे बढ़ाने और कल्याण आश्रम कार्य को निर्विरोध रूप से चलाने का दायित्व अब रामचन्द्र खराड़ी पर आया है। प्रभावी वक्ता के रूप में भी उनका परिचय कार्यकर्ताओं के बीच में बना हुआ है। ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी रामचंद्र खराड़ी जी को अध्यक्ष के रूप में पाकर पूरा कल्याण आश्रम परिवार अति उत्साहित है।

पूर्वांचल कल्याण आश्रम कोलकाता हावड़ा महानगर का 41वाँ वार्षिकोत्सव कला मंदिर प्रेक्षागृह में दिनांक 19 जून 2022 प्रात: 10:30 बजे कलामंदिर में मंचस्थ हुआ। अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करने के उपरांत रामचंद खराड़ी जी का दक्षिण बंग प्रांत में प्रथम बार आगमन हुआ। इस सारस्वत अवसर पर उनके कलकत्ता आगमन को चिरस्मरणीय बनाने एवं स्वयं को कृतार्थ करने हेतु कल्याण आश्रम के नए अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री रामचंद्र खराड़ी जी का कलकत्ते की विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा अभिनन्दन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। आपके नेतृत्व में वनवासी भाई – बहनों के निरंतर व उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कार्यकर्त्तादल कृतसंकल्प है।

अभिनन्दन है अभिनन्दन है।।
ओ माटी के पूत तुम्हारा
युग का शत-शत वन्दन है
अभिनन्दन है।। ■

कोलकाता तथा हावड़ा महानगर का रामनवमी उत्सव 2022

- शकुन्तला अग्रवाल
सह संगठन मंत्री, महानगर महिला

कोलकाता तथा हावड़ा महानगर की सभी समितियां प्रतिवर्ष राम नवमी उत्सव मनाती है। गत दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण यह आयोजन ठीक से नहीं हो सका था। कुछ एक समितियों ने आभासी आयोजन (on line zoom) किया था। इस वर्ष रामजी की कृपा से परिस्थिति में सुधार हुआ। सारी बाधाएं दूर हुई। सभी समितियों ने बहुत ही उत्साह के साथ रामनवमी उत्सव मनाया। प्रभु राम हम सभी के आराध्य हैं। कल्याण आश्रम राम को अपना आदर्श मानता है। राम का प्रिय वनवासी, जो देश का सबसे पिछड़ा वर्ग है, उनका सर्वांगीण विकास कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना कल्याण आश्रम का मूल लक्ष्य है। इस वर्ष राम जी के जन्मोत्सव पर किसी समिति ने छोटी छोटी नाटिकाओं का मंचन किया, किसीने केवट के प्रसंग लिया तो किसीने शबरी का प्रसंग लिया। ज्यादातर समितियों ने इस उपलक्ष्य में सुन्दरकाण्ड के पाठ का आयोजन किया। किसी ने रामचरितमानस से क्विज करवाया। हर एक समिति ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी उत्सव मनाया। यह कार्यक्रम हम समितियां अपनी समिति के वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्थानीय लोगों की सहभागिता रहती है 50 से लेकर 100 तक की संख्या दर्शकों की हो जाती है। स्थानीय लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का अवसर मिलता है। संपर्क तथा प्रचार का अच्छा माध्यम है।

जय श्रीराम ■

पूर्वांचल कल्याण आश्रम का
सिलाई प्रशिक्षण शिविर

- शकुन्तला बागड़ी
कोलकाता महानगर महिला अध्यक्षा

ठान लिया जो करने की, मेहनत करने की कड़ी मिली।
कदम एक बढाया तो, मंजिल सामने खड़ी मिली।।

जिस तरह बट वृक्ष की शाखाएं दूर-दूर तक फैलती हैं किंतु धैर्य के साथ कुछ समय लगता है उसी तरह कल्याण आश्रम का प्रकल्प स्वावलंबन की शाखाएं व कार्य के परिणाम भी दूर-दूर तक फैल रहे हैं ।बनवासी के घर घर पहुंच रहे हैं। कल्याण भवन में ही सीखी हुई महिलाओं द्वारा आठ जगह पर सिलाई केंद्र चलाए जा रहे हैं निवेदिता बलरामपुर, राऊ तोडा, खे सियारी, नारायणगढ, गो सावा, कुमारी, बांध बान। यह अत्यंत ही उत्साहवर्धक है।

2 साल के लंबे अंतराल के बाद जब सब का आना जाना शुरू हुआ तो कल्याण भवन में भी सिलाई केंद्र की पुन: शुरुआत हुई 15 दिन के अंतराल से लगातार तीन कक्षाएं हुई। पहले 22 लडकियां जिन मैं तीन पुरानी थी आई उन्होंने अपना निजी काम शुरू कर दिया है इसी तरह लडक़ों की कक्षा हुई लडक़ों की हमारी बहुत कोशिश के बाद भी संख्या बहुत कम थी गांव के बच्चे गांव में रोजगार न मिलने से दूर शहरों में आजीविका के लिए जाने लगे हैं तीसरी कक्षा हमने छात्रावास की बच्चियों की रखी माध्यमिक करने के बाद घर जाने के पहले पुरुलिया की निवेदिता छात्रावास और सुंदरबन के छात्रावास की 12 लडकियां आई उन्हें सिलाई कंप्यूटर कराटे आदि का प्रशिक्षण दिया गया। क्योंकि इस तरह की कार्यक्रम इनकी प्रतिभा को और भी निखार देते हैं। इन सभी लोगों का डॉक्टरों से चेकअप भी करवाया जाता है और साथ में दवाइयां दी जाती हैं।

लक्ष्य निधारित है । गांव गांव में सिलाई केंद्र खोलने हैं और जो बच्चे विस्थापित होकर शहरों की तरफ आजीविका के लिए आते हैं वहीं रहकर अपना जीवन यापन कर सकें इसीलिए ध्येय के साथ और कार्यकर्ताओं की सहभागिता के साथ हम आगे बढ. रहे हैं। जय श्री राम

राह नहीं ये अग्निपथ है, पग – पग पर चलना होगा।।
दुश्चिंता की कोई बात नहीं, वनवासी को आगे लाना होगा।। ■

प्रेरक प्रसंग

पंखों से कुछ नहीं होता ,
हौसलों से उड़ान होती है...

यह कर दिखाया है जेलियांग्रोंग हेराका स्कूल के विद्यार्थियों ने।

यह लगातार 17वाँ साल है जब जेलियांग्रोंग हेराका स्कूल ने 10वीं के बोर्ड में शत-प्रतिशत परिणाम दिया है। सभी परिश्रमी शिक्षकों और सहयोगी कर्मचारीगण को उनके अथक प्रयासों के लिए बहुत-बहुत बधाई।

इस वर्ष 25 छात्रों में से 2 ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए (डिंडिन 94.82% अंकों के साथ पेरेन जिला टॉपर रहा), 20 ने प्रथम श्रेणी और 3 ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की। इसलिए न केवल सभी छात्र पास हुए हैं... बल्कि विशेष योग्यता के साथ सफलता की उड़ान भरी है। उन सभी को बधाई। ■

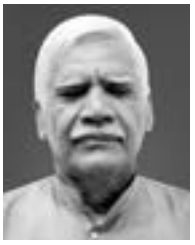

माननीय भास्कर राव
वनवासी सेवा में

- कृपा प्रसाद सिंह, ग्राम विकास
आयाम मार्गदर्शक, अ. भा. वनवासी कल्याण आश्रम

अप्रैल 1985 राँची में विराट वनवासी सम्मेलन का आयोजन काके रोड पर हुआ। इस सम्मेलन में दिल्ली के प्रांत संघचालक माननीय लाला हंसराज गुप्त व माननीय रज्जू भैया सरकार्यवाह मुख्य अतिथि थे। जशपुर से माननीय दिलीप सिंह जूदेव - राजकुमार, जशपुर राजपरिवार तथा सांसद व भारत सरकार के मंत्री विशिष्ट अतिथि थे। इस विराट वनवासी सम्मेलन में 2100 परिवारों की घर वापसी हुई थी। दिलीप सिंह जूदेव व स्वामी अमरानंद को वनवासी समाज का यह दल वापस सनातनी धर्म में आना चाहता था। सार्वजनिक आह्वान स्वीकार करने के कारण ये सभी महानुभाव इस विराट वनवासी सम्मेलन में आमंत्रित थे। हवन यज्ञ व कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् सार्वजनिक सभा में इनको सामाजिक तौर पर स्वीकार करने का कार्यक्रम था। मंच संचालन हेतु माननीय गुणवंत सिंह जी व मा- महरंग उरॉव मंच पर माइक के पास थे। कई घोषणाओं में माननीय भास्कर राव का परिचय माननीय बालासाहब देशपांडे ने अ.भा. सह संगठन मंत्री के रूप में कराया। सभा में खुशी की लहर दौड़ गयी। जबरजस्त करतल ध्वनि व भारत माता की जय कार के साथ माननीय भास्कर को पहली ऐसी सभा में स्वागत किया गया। मोरेन सिंह पूर्ती अध्यक्ष वनवासी कल्याण केन्द्र व श्री जगत नन्दन प्रसाद ने शॉल व श्रीफल से माननीय भास्कर राव का स्वागत किया। कल्याण आश्रम के लिए यह एक सुखद क्षण था। पहली बार किसी सह संगठन मंत्री की घोषणा वह भी 10 हजार वनवासी बंधुओं की सभा में हुई। माननीय रज्जू भैया (प्रो. राजेन्द्र सिंह) व माननीय लाला हंसराज जी ने अपने उद्बोधन में माननीय भास्कर राव को वनवासी सेवा में यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। वहीं इसी मंच पर माननीय बालासाहब ने उनका वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में भी स्वागत किया।

1985 कल्याण आश्रम के और दो विशेष कार्यक्रम हुए। अ.भा. महिला सम्मेलन दुर्ग में एवं अ.भा. कार्यकर्ता सम्मेलन ऋषिकेश में। इन दोनों सम्मेलनों में माननीय भास्कर राव माननीय बालासाहब देशपांडे व माननीय मिश्रीलाल जी तिवारी के साथ सभी कार्यक्रमों का विचार करते हुए दिखे। भिलाई के अ.भा. महिला सम्मेलन में श्रीमती अरूणा अनिल होलसमुद्र ने प्रसिध्द महिला समाजसेवी अनुताई वाघ, नागालैण्ड की स्वतंत्रता सेनानी रानी माँ गाईदिन्ल्यू, सरकार्यवाह रा.स्व.संघ प्रो. राजेन्द्र सिंह को आमंत्रित किया था। प्रथम महिला सम्मेलन में माननीय भास्कर राव मंच पर सामने नहीं दिखे। अरूणा अनिल जी, श्री द्वारिकाचार्य तथा दुर्ग के कार्यकर्ता मंडली के साथ हर व्यवस्था की बारीकी के साथ विचार करते हुए दिखे। ऋषिकेश के अ.भा. सम्मेलन में डॉ. लोकमन सिंह व माननीय तिलकराज कपूर के साथ सितंबर के अंतिम सप्ताह में पहले से ही पहुँच कर व्यवस्था आदि करते दिखे। मैं व्यवस्था में था। मैने देखा माननीय बालासाहब देशपांडे, माननीय मिश्रीलाल तिवारी,

माननीय वसंतराव भट्ट, माननीय रामभाउ गोडबोल, माननीय बालासाहब हरदास, माननीय भास्करन जी साथ में माननीय श्रीधर जी, माननीय अवधबिहारी जी व माननीय गुणवंत सिंह जी अक्सर बैठकर विचार विमर्श किया करते थे। इस टोली में माननीय मोरूभाउ केतकर भी सदैव उपस्थित रहते थे। ऋषिकेश की कई व्यवस्थात्मक बैठकों में व भिलाई के महिला सम्मेलन की व्यवस्थाओं में माननीय सप्रे जी को अक्सर बैठकों में देखा। अ.भा. मंत्री होने के नाते कई बैठके लेते भी मैने देखा।

1987 के अ.भा. इन्दौर सम्मेलन में माननीय भास्कर राव व माननीय रामभाउ गोडबोले इन्दौर सम्मेलन में मुझसे अ.भा. युवा प्रमुख के नाते कार्य देखने का प्रस्ताव रखा एवं सम्मेलन में इसकी घोषणा भी हुई। अ.भा. स्तर पर देशभर में युवा सम्मेलनों का आयोजन होने लगा। कल्याण आश्रम के कार्य से युवा कार्यकर्ताओं का जुड़ाव आवश्यक है ऐसा आग्रह माननीय भास्करन जी व माननीय बालासाहब देशपांडे जी का था। विधार्थी परिषद के कार्य में 1968 से 1980 तक रहने के कारण मुझे इसमें थोड़ी सहूलियत हुई। दो वर्ष के इस कार्य के कारण श्री अशोक साठे से माननीय रामभाउ गोडबोले ने मुझे मिलाया।

1988 के अ.भा. कार्यकर्ता सम्मेलन नाशिक के पश्चात् प्रांत संगठन मंत्रियों का अभ्यास वर्ग सूर्यनिकेतन (मोटारांधा, दादरा नगर हवेली) में आयोजित करने की योजना माननीय भास्कर राव जी ने बनायी। नासिक सम्मेलन के पश्चात् त्र्यंबकेश्वर दर्शन करते हुए सभी प्रांत संगठन मंत्री सूर्यनिकेतन के लिये एक बस से प्रस्थान किये। श्रीमान सुरेश कुलकर्णी - संगठन मंत्री, श्री प्रमोद कुलकर्णी - प्रांत मंत्री व माननीय बालासाहब दीक्षित क्षेत्र संगठन मंत्री ने नाशिक सम्मेलन मुक्तिधाम में बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। इन्ही की व्यवस्था में हम सभी कार्यकर्ता सूर्यनिकेतन जा रहे थे। साथ में अ.भा. अधिकारियों का दल माननीय बालासाहब, माननीय मिश्रीलाल जी, माननीय मोरूभाउ केतकर, माननीय भास्करराव, माननीय वसंतराव, माननीय जगदेवराम उरांव जी एक अलग वाहन से सूर्यनिकेतन आ रहे थे। माननीय प्रसन्न सप्रे - मंत्री, माननीय रामभाउ गोड़बोले - अ.भा. संगठन मंत्री पहले से ही व्यवस्था में लगे थे और वे पहले ही यहां पहुँच चुके थे। अशोक साठे को भी माननीय रामभाउ ने पहले ही यहॉ बुला लिया था। माननीय भाउराव देवरस कल्याण आश्रम के पालक अधिकारी होते थे। उनके साथ उपरोक्त टोली को विचार विनिमय के लिए बैठते मैंने देखा हैं। चूँकि इधर के क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय बालासाहब दीक्षित थे। अस्तु, वे भी इस टोली में विचार विनिमय हेतु बैठते थे। सूर्यनिकेतन में मैंने यह दृश्य देखा है। अ.भा. संगठन मंत्री का अभ्यास वर्ग प्रारंभ हो रहा है। सूर्यनिकेतन का चित्र सजाया जा रहा था। कुश के खार से एक कुटिया निर्मित हुई।

प्रात: स्मरण सूर्य मंदिर में सामूहिक रूप से हुआ। 9 बजे प्रांत संगठन मंत्री अभ्यास वर्ग का उद्घाटन सत्र हुआ। रमेश जी पाध्ये ने व्यक्तिगत गीत गाया। माधवी जी ने शांति मंत्र का पाठ कराया। भगवान राम व भारतमाता के चित्र के समक्ष माननीय बालासाहब व मोरू भइया तथा मिश्रीलाल जी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण किया। पूज्य ठक्कर बापा का भी चित्र लगा था। उनको भी पुष्पांजलि दी गयी। माननीय भास्कर राव जी ने अति संक्षिप्त प्रस्तावना इस शिविर के बारे में रखी। माननीय बालासाहब ने अपने उद्घाटन उद्बोधन में अभ्यास वर्ग व सूर्यनिकेतन के बारे में माननीय रामभाउ गोड़बोले की संकल्पना सबके समक्ष रखी। कल्याण आश्रम का इस प्रकार का यह पहला

अभ्यास वर्ग था। सूर्यनिकेतन में भी यह पहला अभ्यास वर्ग आयोजित है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, म्माननीय भास्कररराव, सरदार गोपाल सिंह व श्री के. डी सिंह आई.ए.एस तथा संगठन मंत्री तरुण विजय के चित्र सबके अवलोकनार्थ लगे थे। अभ्यास वर्ग का पहला सत्र माननीय बालासाहब के उद्‌बोधन के साथ पूर्ण हो गया।

अभ्यास वर्ग में टोली की यह सोच प्रतिस्थापित हुई कि सूर्यनिकेतन अ.भा. वनवासी कल्याण आश्रम का प्रशिक्षण केन्द्र रहेगा। भोगौलिक दृष्टि से एक किनारे होने के बावजूद भी हम इसको स्वीकार करते हैं। आने में बहुत खर्चा है, एक किनारे पर है, देश के मध्य में नही है, यह देखने लायक आस पास कोई प्रकल्प नही है, जशपुरनगर या उसके पास प्रशिक्षण केन्द्र होता तो ज्यादा सुविधाजनक होता आदि बातें महत्व की होने के बावजूद भी बैठकों में हम ऐसे विषय नही उठाएंगे। सूर्यनिकेतन मोटा रान्धा ही हमारा अ.भा. प्रशिक्षण केन्द्र रहेगा.ऐसा ही सबका मन बनाएंगे व आश्रम के प्रथम अ.भा. संगठन मंत्री का स्वप्न साकार करेंगे।

संगठन मंत्रियों का अभ्यास वर्ग सनातनी चिंतन इको फ्रेन्डली लिविंग के कॉन्सेप्ट के साथ संपन्न हुआ। क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों के साथ ग्राम स्तर के कार्य की योजना बनी। देश भर के 82 पिछड़ी जनजातियों के लिए कार्य का आग्रह उन्होंने किया। पहले ऐसी पिछड़ी जनजातियों के विस्तृत अध्ययन का कार्य किया जाये और वर्तमान में उनके अस्तित्व के कायम रह जाने में जनजातियों की जीवन पद्धति, पूजा पद्धति व उत्सव कहीं कारण है क्या? सामाजिक कल्याण के पंडित अपने आलेख में इस बात का जमकर जिक्र करते है। इन प्रथाओं को कोसने मे कोई कमी नही रखते। सभी प्रांतीय समितियाँ अपने-अपने प्रांत के पिछड़े प्रिमिटिव ग्रुप के बारे में चयन करके उनके विकास की योजना बनाये ऐसा सर्वमतेन निश्चिय हुआ।

कल्याण आश्रम के पालक अधिकारी 2018 को इस अभ्यास वर्ग में एक सक्षम कार्यालय के विषय पर आफिस मेनेजमेंट का विषय अपनी प्रस्तुति के लिये लाए थे। यह सत्र सर्वाधिक आर्कषक रहा। सभी संगठन मंत्रियों के अलावा अ.भा. अधिकारियों ने भी इस सत्र व विषय की चर्चा में भाग लिया।

अभ्यास वर्ग में किसी विषय की प्रस्तुति के लिये माननीय भास्कर राव ने कोई सत्र लिया ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आता पंरतु सत्र लेने वाले व विषय प्रस्तुत करने वालों के साथ उनको विमर्श करते हुए मैने अवश्य देखा। राँची में अप्रैल 1985 में जब वो आये थे तो मंच पर परिचय कराते समय उनकी जो वेशभूषा थी - वहीं कुर्ता-पजामा, कंधे पर झोला, कभी कभी दक्षिण भारत का मुण्डु यही उनका पहनावा अंत तक रहा। सायं शाखा में शाखा की निकर लगाकर ही मैदान में आते थे। अंग्रेजी अखबार पढ़ने में उनकी रुचि रहती थी। पुस्तकें भी अंग्रेजी भाषा में ही अक्सर पढ़ने में उनकी रूचि रहती थी। पुस्तके भी अंग्रेजी भाषा में ही अक्सर पढ़ते देखा। उसमें उनको सुविधा होती थी। मुझे कई बार पत्र लिखा होगा उन्होने। वे भी अंग्रेजी में ही लिखते थे। उनकी प्राथमिक पढ़ाई बर्मा में हुई थी और संभवत: अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने के कारण उनके लिए यह सुविधाजनक था। परंतु इसके ठीक विपरीत कार्यकर्ता बैठक में कभी अंग्रेजी नहीं बोलते थे। बैठक की भाषा हिन्दी ही होती थी।

केरल में वर्षो कार्य करने के कारण वे जलपान व भोजन में दक्षिण भारतीय व्यंजन को ही प्राथमिकता देते थे। प्रवास के क्रम में सामान्य कार्यकर्ता के घर जो मिलता था उसको बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते थे। इस विशेष गुण के कारण वे कार्यकर्ताओं के बीच

बड़े ही प्रिय थे। वनवासी कार्यकर्ताओं के घरों में बड़ी आसानी से रह लेते थे। अगर शौच बाहर जाना पड़े.तो उनकों कोई दिक्कत नही होती थी। प्रवास के क्रम में मैने उनके साथ सिंहभूम जिला बिहार, अरूणांचल प्रदेश के पासीघाट, म.प्र. के बस्तर के प्रवास का अनुभव किया। सुदूर ग्रामीण परिवेश में रहकर भी अपनी आवश्यकता की मांग नहीं करते थे। 1990 के दशक में अरूणांचल व बस्तर दोनों क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हुआ। हम सभी जानते हैं कि प्रांरभिक काल में संगठक को कठोर परिश्रम करना होता है तब कहीं संगठनात्मक ढांचा खड़ा होता है। ऐसे समय में सहयोग करने वाले कार्यकर्ता बहुत ही कम होते है। कई बार संगठक को बगैर खाये ही सोना पड़ता है। कल्याण आश्रम में आने के पश्चात् माननीय भास्कर राव सहित हम लोगों ने यह परिस्थिति कई बार देखी है। अरूणांचल प्रदेश में इस काल में रात्रि भोजन व ठहरने की व्यवस्था आसानी से हो जाती थी परंतु दोपहर के समय एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में व नये-नये परिवारों से संपर्क में समय निकल जाता था और दोपहर का भोजन छूट जाता था। प्रांरभिक काल में हमलोग विवेकानंद केन्द्र के विद्यालय में ठहरा करते। अरूणांचल के प्रत्येक जिले में विद्यालय होता था। वहां छात्रावास में हम ठहरते थे और भोजन करते थे। शिक्षकों के संपर्कित परिवारों से ही हम कल्याण आश्रम के कार्य में सहयोग लेते थे। विधालय के वार्षिकोत्सव में या अन्य उत्सवों में भाग लेकर हम अपना संपर्क बनाते थे। अलग अलग स्थानों पर ऐसे ही कार्य खड़ा हुआ। प्रथम संगठक श्री डी. डी. आचार्य अपने झोले में भीगा चना, बादाम व मूंग रखते थे और उसी से एक टाइम का भोजन कर लेते थे। शाकाहारी होने के कारण कई जगह उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था लेकिन लोग उन्हें स्नेह भी उतना ही करते थे। ■

सालबाड़ी कल्याण आश्रम की आवासीय तीरंदाजी अकादमी के शुभ संकल्प की एक रिपोर्ट

संकल्पों की दूर दृष्टि से
राह प्रगति की दिखती,
संकल्पों की कठिन लेखनी
भाग्य मनुज का लिखती ।

संकल्प के आधार पर ही मनुष्य के जीवन में उन्नति और अवनति निधारित होती है। संकल्प से ही सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति संभव हो सकती है। शुभ संकल्पों में ही विश्व का कल्याण निहित है।

ऐसे ही शुभ संकल्प का आदर्श उदाहरण है सालबाड़ी कल्याण आश्रम की आवासीय तीरंदाजी अकादमी। मैंने 27 अप्रैल 2022 को सिलीगुड़ी के पास सालबाड़ी में कल्याण आश्रम की इस आवासीय तीरंदाजी अकादमी का दौरा किया। वहाँ पहुँचने पर चित्त आनंदाभिभूत हो उठा।

सिल्वर स्प्रिंग समिति ने 3 साल पहले इस केंद्र के लिए तीरंदाजी उपकरणों के लिए की व्यवस्था की थी।और यह निश्चय हुआ था कि कक्षा 6 से 10 तक के 25 बच्चे वहां रहकर प्रशिक्षण लेंगे। इन मेधावी बच्चों ने कई स्थानीय टूर्नामेंट जीते और दार्जिलिंग जिले के आयोजन में अपने प्रदर्शन के लिए एक लैपटॉप भी प्राप्त किया।

अगले साल हमारी योजना प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाकर 35 करने और 2024 में 50 करने की है। ■

डीलिस्टिंग महाअभियान

जनजातियों के संवैधानिक हक के लिए समग्र भारत का अभियान है

- डॉ. मन्नालाल रावत
जनजाति सुरक्षा मंच, केंद्रीय कमेटी सदस्य

हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों के हितार्थ कई प्रावधान किए हैं, जो उनके आरक्षण और संरक्षण से संबंधित हैं। इन प्रावधानों के लागू होने से जनजातियों के विभिन्न शासकीय नौकरियो में प्रवेश व पदोन्नति में, शिक्षा, कानूनी संरक्षण एवं लोकतंत्र के प्रमुख संस्थानों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। पेसा एक्ट 1996, लागू होने के उपरांत अनुसूचित क्षेत्र के सभी पंचायती राज संस्थाओं के मुखिया (सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख) के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार देश में विधानसभा सदस्य तथा लोकसभा सदस्यों के स्थान भी इन वर्गों का आरक्षण दिया गया है। सामान्य शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में भी जनसंख्या के अनुपात में एसटी को आरक्षण का लाभ प्राप्त है। देश में विभिन्न लोकनीति में जिसमें मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों को एक निश्चित अनुपातिक लाभ देने का प्रावधान दिया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में जनजातियों को विशेष कानूनी संरक्षण मिला हुआ है एवं पीड़ित प्रतिकार योजना की सहायता प्राप्त होती है।

उक्त सभी प्रावधान संविधान में वर्णित 'अनुसूचित जनजाति' की पात्रता पूरी करने वाली जनजातियों के सदस्यों को प्राप्त है। इस हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर से संवैधानिक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें जिसे राज्यवार अनुसूचित जनजातियों की लिस्टिंग (सूचीकरण) कहलाता है जो राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण संरक्षण नीति का आधार है। इस लिस्टिंग के आधार पर ही आदिवासी समूह 'अनुसूचित जनजातियां' (एस.टी.) कहलाती हैं। इस हेतु 1950 में आदेश जारी हुआ और अनुसूचित जनजातियों के लिए कई नीतियां, योजनाएं व कल्याणकारी सूत्र लागू हुए।

उक्त सांविधानिक आदेश के लागू होने के साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सुस्थापित मानक एवं पात्रता चर्चा में आई, परंतु एक महत्वपूर्ण विसंगति रह गई, जिसकी ओर लंबे समय तक किसी का कोई ध्यान नहीं गया। 1960 के दशक में डॉ. कार्तिक उरांव जो जनजाति समाज के चिंतक व नेता एवं लोकसभा के सांसद रहे, ने इस ओर संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया। मुद्दा था विसंगति को दूर करना अर्थात अनुसूचित जनजाति की सटीक परिभाषा व मानक क्या होने चाहिए? वैसे अनुच्छेद 341 और 342 में रह गया विरोधाभास अब शासकीय नीति और राजनीति में

सबसे अधिक चर्चा में आया। यह था- ईसाई व इस्लाम धर्म में धर्मांतरित सदस्य एस.टी. में क्यों है?

हमारी सम्प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रीय राजव्यवस्था द्वारा अनुसूचित जनजाति की पात्रता के 5 मानक स्वीकार किए हैं, यथा-आदिम विशेषताओं के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक एकाकीपन, समुदाय के साथ संपर्क में संकोच तथा पिछडापन। इन 5 मानकों में सबसे चर्चित मानक 'विशिष्ट संस्कृति' है, जो भारतीय परिवेश की निरंतर विरासत, देवलोक व सांस्कृतिक मूल्य से सम्बद्ध है। यह मानक जनजाति समाज एवं व्यक्ति की मूल पहचान को स्पष्ट करता है। इस पहचान के मूल में संस्कृति है और संस्कृति के मूल में आस्था है। यदि किसी व्यक्ति ने पुरखों के देवलोक के प्रति आस्था छोड.दी तो उसने पूजा पद्धति छोड़ दी। और यदि पूजा पद्धति छोड़ दी तो संस्कृति भी छोड़ दी। अब जब संस्कृति ही छोड. दी तो उसने पहचान तो छोड़ ही दी। ऐसे में यही सुस्थापित है कि जब किसी सदस्य ने आदिवासी संस्कृति को छोड़ दिया तो वह समुदाय या व्यक्ति अब 'अनुसूचित जनजाति' की पात्रता खो देता है। ऐसे में उसे एस.टी. के सांविधानिक आरक्षण व संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

डॉ. कार्तिक बाबू ने यह प्रश्न समाज एवं राष्ट्र के समक्ष रखा जिसके तथ्य '**20 वर्ष की काली रात**' नामक उनकी पुस्तक में वर्णित है। उनके मौलिक चिंतन एवं शोध के अनुसार आदि विश्वास व आदि मत यानि संस्कृति यदि किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया हो तब संविधान के उद्देश्य के लिए उस सदस्य को अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की पात्रता से बाहर किया जाना चाहिए। इसे ही 'डीलिस्टिंग' कहा जाएगा।

इस संदर्भ में डीलिस्टिंग का आशय है कि धर्मांतरित सदस्य वैसे भी जनजाति होने के लाभ का पात्र नहीं रह जाता, परंतु संसद के कानून द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश, 1950 में संशोधन करने हेतु 'डीलिस्टिंग' किया जाना कानूनन आवश्यक है।

संविधान में मूलरूप से आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए की गई है। अनुसूचित जनजातियों के पात्रता के मानक अनुसूचित जातियों से कैसे भिन्न है, यह जानना भी जरूरी है। राष्ट्रपति और सामाजिक शिल्पी डॉ. भीमराव अंबेडकर के रहते अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रपति की ओर से जारी सांविधानिक आदेश, 1950 में किए गए प्रावधान अनुसार- 'यदि इस समाज में से कोई व्यक्ति धर्मांतरित होकर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तब उसकी अनुसूचित जनजाति की पात्रता नहीं रहती है अर्थात् उक्त दोनों धर्मों में धर्मांतरित कोई भी सदस्य या समुदाय एस.सी. से डीलिस्टिंग ही है, आरंभ से ही बाहर किया जा चुका है।

इसमें रेखांकित करने वाली बात यह है कि स्वतंत्र भारत के आरंभिक कालखंड में धर्मांतरित सदस्यों के प्रभाव, औपनिवेशिक शक्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप और राष्ट्र निर्माताओं के पश्चिमोन्मुखी मानस के चलते एससी की भांति प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं हो सका है। इस कारण अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक पात्रता के मानकों में उक्त भारी विसंगति रह गई।

प्रश्न यह है कि 'वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी; हम सभी भारतवासी' के प्रवाह में हमारी सामूहिक चेतना का मर्म क्या है? क्या 'हम भारत के लोग' के भारत भाव में उक्त विसंगति गरीब व कमजोर समूह के लिए हम अन्यायकारी मानते है? जी हां! हम मानते हैं। डॉ. कार्तिक उरांव के गहन अध्ययन के अनुसार धर्मांतरित सदस्यों द्वारा गैर-आनुपातिक ढंग से सुविधाएं हड़पी जा रही है। यहां हड़पने की व्यवस्था का आशय न केवल समग्र विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध है बल्कि गैर-संवैधानिक भी है। पर कैसे है यह कानूनी बात, इसे समझना आवश्यक है। आपको याद होगा, सन् 1931 के वैधानिक प्रावधानों को स्वतंत्र भारत में विभिन्न वर्गों के हितों के लिए स्वीकार किए है, जिसके अनुसार 'इंडियन क्रिश्चियन' अल्पसंख्यक वर्ग कहलाते हैं। यह पद उन सदस्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो भारतीय ईसाई धर्म अपनाते हैं अर्थात् आदिवासी में से धर्मांतरित होकर ईसाई बने, वे सदस्य 'इंडियन क्रिश्चियन' है, वे कानूनन 'अल्पसंख्यक' कहलाते है। इस प्रकार ये एस.टी. के संवैधानिक परिभाषा के बाहर हैं, पर अनाधिकृत रूप से एसटी में बने हुए हैं। सन् 1968 में उनकी संख्या कुल जनजातियों की संख्या का लगभग 5 प्रतिशत था जो कुल एसटी का 62 प्रतिशत से अधिक नौकरियां, 68 प्रतिशत अधिक छात्रवृत्तियां एवं 72 प्रतिशत से अधिक शासकीय अनुदान हड़प रहे थे। 95 प्रतिशत मूल संस्कृति वाली जनजातियों के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है यह? वाजिब हक हड़पने की यह प्रवृत्ति अत्यधिक गैर-आनुपातिक होकर अन्यायकारी है, जो बहुसंख्यक एवं मूल संस्कृति वाली जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों पर डाका डालने जैसा है। अब आप समझ चुके हैं कि यह यह एक 'खूली लूट' है। डॉ. कार्तिक उरांव ने इसे मूल संस्कृति वाली जनजातियों के साथ एक 'क्रूरतम अन्याय' कहा है।

इस क्रूर अन्याय और विसंगति को दूर करने की लोकतांत्रिक चेतना का आरंभिक चरण - सन् 1968 में एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन के रूप में हम देख सकते हैं । लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल 33 सदस्यों वाली इस समिति ने संविधान के अनुच्छेद 341 (एस.सी.) की भांति ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरित सदस्यों को 'अनुसूचित जनजाति' की परिभाषा व पात्रता से बाहर करने की सिफारिश की थी, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी के शासकीय एवं राजनीतिक गलियारे में डॉ. कार्तिक उरांव के प्रखर नेतृत्व में बड़े संघर्ष के बाद कानून का एक मसौदा तैयार कर लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, परंतु दुर्भाग्य से इसे कानून नहीं बनाया जा सका। लोकसभा भंग हो गई। यहां यह कितना दिलचस्प है कि संसद के 348 सांसद चाहते थे कि मूल संस्कृति वाले आदिवासियों के हित में डीलिस्टिंग का उक्त कानून बनाया जाए, परंतु तत्कालीन राजनीतिक आकाओं ने देश-विदेश की ईसाई मिशनरीज, धर्मांतरित सांसद और पूर्वोत्तर राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों के हस्तक्षेप के चलते इसमें अड़ंगेबाजी की और बिल को रुकवा दिया।

इस तरह मूल संस्कृति वाली हमारी जनजातियों के न्याय का एक नया अध्याय यहां उपेक्षित कर दिया गया। बाद के कालखंड में उन्होंने इस हेतु और भी कई प्रयास किए परंतु 1970 से लंबित डीलिस्टिंग का बिल, कानून का रूप नहीं ले पाया।

यह जगजाहिर है कि 'सर्वे भवंतु सुखिन:' का कल्याण भाव के अनुरूप हम सबका हित चाहने वाले हैं। जनजाति समाज हमारे अपने अखिल समाज का अंग है, फिर इसको उपेक्षित कैसे देख सकते हैं? यह प्रबल भारत भाव अब अखिल राष्ट्र में जागृत हो चुका है ।

हम सबका संकल्प है कि देश के एक तिहाई कठिन वन, पहाड़ और पठारी भूखंड के निवासी जन समूह राष्ट्र की 9% जनसंख्या में 700 से अधिक जनजातियां हैं, जिनके न्याय व हक के लिए डीलिस्टिंग का अधूरा सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे।

सन् 2006 में जनजाति सुरक्षा मंच का गठन इस आन्दोलन और संकल्प की नींव है। जनजाति समाज के अग्रणीजन, चिंतक एवं चेतना जागृत कार्यकर्ताओं ने इस मंच का गठन कर, सभी को जोडा है। इसके बैनर तले 2009 में 28 लाख हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति को दिया गया। साहित्य व तथ्य संकलित किये गये। 2020 में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों से मिलकर और देशभर के सैंकड़ों जिलों में जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपे गए। साथ ही डॉ. कार्तिक बाबू के प्रखर, लोकतांत्रिक, समाज निष्ठ एवं कल्याणकारी विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए परिचर्चाओं का आयोजन किया गया, परंतु समाज के विस्तृत आग्रह और निवेदन पर भी आज तक डीलिस्टिंग का कानून नहीं बनाया गया। वर्तमान में भारी आक्रोश और उपेक्षित भाव से यह कहना यथोचित है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संवैधानिक प्रावधान के मार्ग में एक बहुत बडी बाधा बन चुके हैं - 'ये धर्म बदलने वाले व्यक्ति और समूह।'

एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये क्रमश: मजबूत हुए हैं, राजनीतिक व शासकीय समर्थन प्राप्त कर सुरसा रूप लेते जा रहे हैं और खुलेआम दोहरा संवैधानिक लाभ हड़प रहे हैं। ये दो मुंहे हो चुके हैं - पहला छद्म एसटी; दूसरा साथ ही धर्मांतरित अल्पसंख्यक भी।

अब कालखंड बदलाव का है, जिसमें जनजाति समाज की चेतना जागृत हो चुकी है। समाज अब संविधान को जानने लगा है। सामाजिक नेतृत्व उभर रहा है। डीलिस्टिंग की मांग को लेकर वह लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन और संघर्ष की राह पर आगे बढ़ चुका है। 'जो भोलेनाथ का नहीं, वह हमारी जात (एसटी) का नहीं' और 'समस्याएं अनेक, समाधान एक: डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग' जैसे नारों के गूंज के बीच एक शंखनाद हो चुका है। यह आन्दोलन सनातन धर्म संस्कृति को आधारभूत मूल्य देने वाले आदिवासी समाज का है। जनजाति सुरक्षा मंच का नेतृत्व एक सूत्रीय आंदोलन पूरे देश की जनजाति बस्ती में चल पड़ा है, जिसे डीलिस्टिंग महाअभियान कहा जा रहा है। 'सड़क

से संसद' तक संघर्ष के इस संघर्ष हेतु 'सरपंच से सांसद' तक संपर्क किया जा रहा है। समाज द्वारा डीलिस्टिंग कानून की मांगों को लेकर वृहद स्तर पर चलाए गए ग्राम संपर्क अभियान के दौरान राजस्थान में 5500 जनजाति ग्रामों में संपर्क किया गया एवं 15 जिलों में जिला सम्मेलन किए गए। अन्य राज्यों में भी सघन सम्पर्क हुआ है। कर्नाटक प्रांत में भी सभी जिलों में जिला सम्मेलन हो चुके हैं। अन्य प्रमुख जनजाति बाहुल्य राज्यों में ये क्रमश: प्रगति पर हैं। इस प्रकार के सम्मेलन देशभर के करीब 250 जिलों में आयोज्य हैं। जिला सम्मेलन के साथ ही जनजाति संस्कृति मुक्त भाव से प्रदर्शन द्वारा अपने संवैधानिक हक हेतु तख्तियों पर लिखी हुई मांग विभिन्न जिला रैलियों में देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, प्रिंट और सोशल मीडिया में इसके मुखर एवं प्रखर वक्तव्य रखे जा रहे है। हडप़ नीति के मूल में धर्मांतरण वाले कई समूह इसके विरोध में प्रतिक्रिया व गीदड़ भभकी दे हैं, परन्तु महाभियान का अश्वमेधी रथ आगे बढ़ता जा रहा है।

इस महाअभियान का विरोध करने वाला परतंत्र भारत के औपनिवेशिक शक्तियों के उद्देश्यों और उनके षड्यंत्रकारी पथ का समर्थन करते हुए प्रतीत होता है। साथ ही वे लोग 'आदिवासी हिंदू नहीं है' और 'शिव पूजक समाज के नैतिक सिद्धांतों का विरोध एवं उपेक्षा' करते हुए प्रतीत होते हैं। ये हमारे प्रेरक मूल्यों, नित्य संस्कृति और अखिल सदाचार के विपरीत बोलते है। इस प्रवृत्ति को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

हमें याद ही है कि संवैधानिक प्रावधानों के चलते डीलिस्टिंग का कानून हमारी संसद द्वारा बनाया जाना है, वही जो 1970 से लंबित है। इस कार्य हेतु समाज एवं लोकतंत्र के प्रतिनिधि सांसद गण है। अत: विगत दिनों जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा दिल्ली में 'सांसद संपर्क महाअभियान' किया गया जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के 460 से अधिक सांसदगणों से संवाद कर डीलिस्टिंग के लंबित मसौदे के अनुरूप कानून संसद में पारित करने का आग्रह किया गया। इस दौरान 'पूजा पद्धति से ही संस्कृति' पुस्तिका के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के पात्रता के मानकों एवं उसमें विरोधाभास/विसंगति की बात को माननीय सांसद गण को पहुंचाया गया है। जनसंपर्क के आगे के दौर में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख एवं विधानसभा सदस्यों से मिलने का भी अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। अखण्ड सत्य की राह पर विजय की आकांक्षा लेकर अग्रसर होते डीलिस्टिंग के इस महाअभियान में अनुसूचित जनजाति की चेतना का स्तर उच्च है। यह एस.सी. के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के मूलमत के अनुरूप डॉ. कार्तिक उरांव के सपनों को न्याय के लिए आकांक्षी समाज के इस आंदोलन के निम्नांकित लाभ होंगे-

1. धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम सदस्य एसटी सीटों पर सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद नहीं बन पाएंगे। ये मूल जनजाति समाज को मिलेंगे।

2. धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम सदस्य, एसटी की

कृषि भूमि नहीं खरीद पायेंगे। ये सारी भूमि मूल एसटी को मिलेंगी।

3. धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम, एसटी की नौकरियों व पदोन्नति के लिए पात्र नहीं रहेंगे। ये सब पद मूल एसटी को मिलेंगे।

4. धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम लोग, तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स में एसटी की सीटों को नहीं खा पाएंगे। ये सब सीटें मूल एसटी को मिलेंगी।

5. धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम सदस्य, एसटी का शासकीय अनुदान नहीं ले पाएंगे। जनजाति समाज की आर्थिक ताकत बढ़ेगी।

6. धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम लोग, एसटी की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं हड़प सकेंगे। जनजाति समाज की आर्थिक ताकत और भागीदारी बढ़ेगी।

7. धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम लोग जनजाति समाज के युवाओं को अलगाव, आतंकवाद और नक्सलवाद के घातक नासूर में नहीं धकेल सकेंगे। युवा समाजनिष्ठ बनेगा।

8. PESA, FRA, पांचवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूचित सहित वैधानिक उपायों और सुरक्षा को मजबूती से पा सकेगा।

9. युवा समाज, संस्कृति और देश को गौरव भाव से देखेगा... आदिवासी, आदिदेव, आदिधर्म, सनातन धर्म और आदि विश्वास की संस्कृति में रहते हुए... हमारा लोकतंत्र सफलता की ऊँचाईयों को छुएगा। यही डीलिस्टिंग के सीधे लाभ है।

हमारे न्यायालय द्वारा पारित कुछ महत्त्वपूर्ण अनुकूल सिद्धांतों को भी हमें ध्यान में रखना होगा जैसे- माननीय उच्चतम न्यायालय ने चंद्रमोहन बनाम केरल राज्य के बाद में यह निर्णय पारित किया है कि जो धर्मांतरित होकर अन्य संस्कृति (ईसाई) जगत में चला गया है, उसे अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जयंतिया हिल्स प्रकरण में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी इसी अनुरूप निर्णय पारित किया है।

अब एक ऐसा समय है जब समस्त राष्ट्र, जनजाति समाज, उनका हित चाहने वाले सभी हितरक्षक एवं राष्ट्र के निर्माता जनजातियों के सांविधानिक हक के संबंध में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को समझे और संसद में डीलिस्टिंग कानून पारित करें, जिसमें धर्म बदलने के कारण संस्कृति छोडने वाले और पहचान छोड़ने वाले क्यों अनुसूचित जनजाति में रहकर उनके जीवन के आधार-जल, जंगल, जमीन के साथ ही जन सुरक्षा की योजनाओं को हडप़ रहे हैं। यह अभियान न केवल अनुसूचित जनजातियों का है बल्कि अनुसूचित जनजातियों का हित चाहने वाले सारे लोकतंत्र का है जो चाहते हैं कि राष्ट्र में कोई भी कमजोर ना रहे, गरीब ना रहे, वंचित ना रहे, उपेक्षित ना रहे और सच्चे पात्र को ही संवैधानिक अधिकार और शासकीय सुविधाएं मिले। इस न्यायसंगत रीति, नीति व प्रीति हेतु हम सब भारतवासी, मूल जनजाति समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और डीलिस्टिंग के इस महाअभियान को कानून बनने तक सहयोग, समन्वय, सलाह व सहकार से आगे बढ़ाएंगे। ■

अनाम क्रान्तिकारी ...

कमला देवी हजारिका

असम में एक ईसाई धर्म प्रचारक भेजे गए थे, नाम था फादर क्रूज़ इन्हें असम के एक प्रभावशाली परिवार के लड़के को घर आकर अंग्रेजी पढ़ाने का अवसर मिला। पादरी साहब धीरे – धीरे घर का निरीक्षण करने लगे, उन्हें पता चल गया कि बच्चे की दादी इस घर में सबसे प्रभावशाली हैं, इसलिए उनको यदि ईसा की शिक्षाओं के जाल में फँसाया जाए तो उनके माध्यम से पूरा परिवार और फिर पूरा गाँव ईसाई बनाया जा सकता है! पादरी साहब दादी माँ को बताने लगे कि कैसे ईसा कोढ़ी का कोढ़ ठीक कर देते थे, कैसे वो नेत्रहीनों को नेत्र ज्योति देते थे, आदि-आदि!

दादी ने कहा बेटा, हमारे "राम-कृष्ण" के चमत्कारों के आगे तो कुछ भी नहीं ये सब। तुमने सुना है कि हमारे राम ने एक पत्थर का स्पर्श किया तो वो जीवित स्त्री में बदल गई, राम जी के नाम के प्रभाव से पत्थर भी तैर जाता था पानी में, आज भी तैर रहे हैं, पादरी साहब खामोश हो जाते पर प्रयास जारी रखते अपना!

एक दिन पादरी साहब चर्च से केक लेकर आ गए और दादी को खाने को दिया, पादरी साहब को विश्वास था कि दादी नहीं खायेंगी पर उसकी आशा के विपरीत दादी ने केक लिया और खा गई। पादरी साहब अट्टहास कर उठे, दादी तुमने चर्च का प्रसाद खा लिया। अब तुम ईसाई हो, दादी ने पादरी साहब के कान खींचते हुए कहा, वाह रे गधे! मुझे एक दिन केक खिलाया तो मैं ईसाई हो गई, और मैं प्रतिदिन तुमको अपने घर का खिलाती हूँ, तो तू हिन्दू कैसे नहीं हुआ? तू तो प्रतिदिन सनातन धर्म की इस आदि भूमि का वायु, जल लेता है फिर तो तेरा रोम – रोम हिन्दू बन जाना चाहिए! अपने स्वधर्म और राष्ट्र को पथभ्रष्ट होने और गलत दिशा में जाने से बचाने वाली ...ये दादी माँ थी असम की सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी ..."कमला देवी हजारिका" कौन जानता है इनको असम से बाहर? हमारा कर्तव्य है कि सारा देश इनके बारे में जानें।

ऐसे गुमनाम धर्म रक्षकों के प्रति सनातन धर्मावलम्बी हमेशा ऋणी रहेंगे। कमला देवी हजारिका जी के चरणों में नमन! ■

बोधकथा .....

संत की सीख

एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। एक दिन उनके पास एक व्यापारी आया और बोला कि महाराज मैं धन कमाने के उद्देश्य से परदेश जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। संत ने उस व्यक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और वह व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से निकल पड़ा। लेकिन तीन चार दिन बाद ही संत से उस व्यापारी की फ़िर मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा कि आप तो व्यापार यात्रा के लिए परदेश निकल पड़े थे, तो इतनी जल्दी कैसे लौट आए?

व्यापारी ने जवाब दिया कि मैं छह महीने की सफ़र पर घर से निकला था, लेकिन रास्ते में आराम करते वक़्त मैंने एक अद्भुत, विचारों को जगाने वाली घटना देखी। जिस पेड़ के नीचे मैं आराम कर रहा था, उस पेड़ पर एक पंखहीन पक्षी था। मैंने थोडी देर बाद देखा कि एक और पक्षी आता है और उसे दाना खिलाकर उड़ जाता है, वो पक्षी फ़िर आता है और पुन: ऐसा ही कर उड़ जाता है।

उसके बाद भगवान के प्रति मेरा विश्वास बढ गया, क्योंकि जो ईश्वर इस वीरान जंगल में इस पंखहीन पक्षी के खाने का इंतज़ाम कर सकता है, वो कैसे मेरे लिए घर बैठे नहीं कर सकता... इसलिए मैंने परदेश न जाने की सोची? संत ने मुस्कुराते हुए कहा "दुख की बात ये है कि आपने पंखहीन पक्षी बनना पसंद किया, लेकिन ऐसा पक्षी बनना नहीं जो कड़ी मेहनत से अपनी रोज़ी-रोटी की तलाश कर रहा था और साथ ही साथ दूसरे लाचार पक्षी का भी पेट भर रहा था।

इस दुनिया में बहुत से ऐसे बेबस और लाचार लोग हैं जिन्हें मदद की जरुरत है।प्रयास हमेशा मदद देने की रहनी चाहिए लेने की नहीं।

व्यपारी संत के चरणों में गिर गया
और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ... ■

कविता .....

अमृत महोत्सवी पल

- लक्ष्मीनारायण भाला 'लक्खी दा'

नारी शक्ति ने आंदोलन को किया समर्थ-सबल।
देश हुआ स्वाधीन, आ गया अमृत महोत्सवी पल।।
मनाएं अमृत महोत्सवी पल।।ध्रु।।

राणी लक्ष्मी, देवी अहिल्या, बलदात्री चेन्नम्मा।
सशस्त्र आंदोलन से जुड़ गई, सहगल, लक्ष्मी पांडा।।
मुत्तु लक्ष्मी, दुर्गा भाभी, और अवंती बाई।
राणीमाँ गाइदेन्ल्यु के संग, वेल्लू नचियार रानी।।
स्मरण कर आंखें हुई सजल।।1।।
मनाएं अमृत महोत्सवी पल....

विधु भगत की दो कन्याएं, बलिदानी सिरमौर।
प्रीतिलता, वीणा, मृदुला संग, जुडी अमृता कौर।।
मातंगिनी, कादंबिनी के संग, सरोजिनी का दौर।
स्वावलंबिता और स्वदेशी, पर भी करती गौर।।
सभी ने जोडा था जन-बल ।।2।।
मनाएं अमृत महोत्सवी पल ...

मादाम कामा, कमला देवी, चंद्रप्रभा सैकियानी।
भगिनी निवेदिता, सावित्री, सुचेता जी कृपलानी।।
यशोधरा दासप्पा, मांग्री, भोगेश्वरी फुकनानी।
एनी बेसेंट,अरूणा आसफअली, मीरा बेन त्रिवेणी।।
विविध धारा ने दिया सुफल।।3।।
मनाए अमृत महोत्सवी पल...

■

Delivering Quality, Powering Lives.

In a short span of three decades, Skipper Limited has rapidly risen to the top. As one of the most preferred brands in the sector, we are committed to delivering true value to our customers.

Manufactured using state-of-the-art processes and materials, all our products conform to international standards & norms. Skipper's product portfolio includes Towers & Distribution structures used for Power Transmission & Lighting, as well as EPC projects and Polymer Pipes & Fittings for water supply & irrigation systems.

Today, Skipper stands among India's largest, and among top 10 globally in terms of manufacturing capacity in the engineering products segment. We are also one of the fastest growing Polymer Pipes & Fittings manufacturing co. in the country.

Skipper Limited
Registered Office:
3A, Loudon Street, Kolkata - 700017, West Bengal, India
T: +91 33 2289 5731/32 | F: +91 33 2289 5733
E: mail@skipperlimited.com | www.skipperlimited.com

SKIPPER
Limited
TOWERS | POLES
POLYMER PIPES | BATH FITTINGS

Printed Matter

Book - Post

If Undelivered Please Return To :

Purvanchal Kalyan Ashram
161/1, Mahatma Gandhi Road
Bangur Building, 2nd Floor
Room No. 51, Kolkata-700007
Phone : +91 33 2268 0962, 2273 5792
Email : kalyanashram.kol@gmail.com